सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2011-2012

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

9 मार्च 2011

फाल्गुन शुक्ल ४, विक्रम संवत् २०६७

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. वर्ष 2010–11 हमारे राज्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हमारी सरकार की मंशा जटिल एवं उलझे हुए मुद्दों को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की रही है। हमने संवाद और संचार की सतत् प्रक्रिया द्वारा सभी समुदायों के बीच समरसता बनाये रखने का प्रयास किया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के गंभीर मुद्दों का हमने धैर्य और समझ से निपटारा किया है। सभी पक्षों के लिए आदर और सम्मान के साथ हम ऐतिहासिक समझौते तक पहुँचे हैं। यह सब कुछ बिना जन–हानि, शांति और समरसता को बाधा पहुँचाये हासिल हुआ।

3. विकास की यात्रा में भी हमने, श्री राजीव गांधी द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिखाये गये निर्णायक मार्ग का अनुसरण करते हुए, पाँच विभागों के बजट, कार्य और कार्मिक **(Funds, Functions and Functionaries)** पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये हैं। संविधान के 73वें संशोधन की भावनाओं के अनुरूप अन्य विभागों को भी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जनता का सशक्तीकरण ही हमारी सरकार का उद्देश्य है।

4. जो बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसकी कई महत्त्वपूर्ण विशेषतायें हैं। देश में पहली बार **'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली'** से बजट तैयार किया गया है। इस प्रणाली से बजट तैयार करने हेतु

विभागों द्वारा संशोधित अनुमानों एवं बजट अनुमानों के प्रस्ताव वित्त विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये तथा वित्त विभाग के स्तर पर भी इन प्रस्तावों को कंप्यूटर के माध्यम से ही अंतिम रूप दिया गया। आगामी वर्ष के दौरान इस ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत कोषागार, उप–कोषागार, राजस्व और व्यय से संबंधित सभी विभाग ही नहीं, बैंक एवं महालेखाकार कार्यालय भी कंप्यूटर तंत्र से जोड़े जायेंगे। इससे **'रियल टाइम बेसिस'** पर आय–व्यय के आकड़े संकलित हो सकेंगे तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार आयेगा।

5. इसके अतिरिक्त, हमने बजट में योजना के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(SC/ST)** घटकों हेतु, गत् वर्ष की बजट घोषणा के अनुसरण में, आगामी वर्ष के बजट में क्रमशः 16.66 प्रतिशत तथा 13.02 प्रतिशत का, नोशनल फ्लो के बजाय, वास्तविक प्रावधान संबंधित विभागों के बजट मदों में अलग से इंगित किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(SC/ST)** के कल्याण हेतु वास्तविक व्यय निर्धारित अनुपात में किया जा रहा है।

6. एक और खास बात जो बजट के बारे में कही जा सकती है, वह यह है कि, पाँच विभागों से संबंधित शक्तियों के हस्तांतरण के उपरांत राशियों का आवंटन भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन बजट मद में ही दिखाया गया है। यह प्रक्रिया योजना और गैर–योजना दोनों प्रावधानों के लिए अपनाई गई है। इसके पीछे मंशा यह है कि यह हस्तांतरण स्पष्ट और निर्णायक हो। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज

संस्थाओं को निर्बंध राशि **(untied fund)** उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि ये संस्थायें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

7. योजना आयोग ने, राज्य की वर्ष 2011–12 की योजना का आकार 27 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया था। मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमने बजट में, योजना का आकार 28 हजार 461 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है, जो अनुमोदित योजना से 961 करोड़ रुपये अधिक है। मैं आशा करता हूँ कि इस बजट से, जहाँ एक तरफ राज्य के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं राज्य के निर्धन एवं पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा।

सार्वजनिक निर्माणः

8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, गाँवों के अलावा, बसावटों (ढाणियों) को चिन्हित कर, 250 व इससे अधिक आबादी की, 5 हजार 749 ढाणियों एवं मजरों को, सड़कों से जोड़ने के लिए, 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाये गये हैं। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष 1 हजार 530 करोड़ रुपये की लागत से, 500 व इससे अधिक आबादी की 1 हजार 833 ढाणियों एवं मजरों को, सड़कों से जोड़ने के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

9. राज्य के महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए **'धार्मिक सड़क योजना'** के अंतर्गत आगामी दो वर्षों में 11 सौ किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा।

इन सड़कों के निर्माण पर 280 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे तथा लगभग 610 धार्मिक स्थल, सड़कों से जुड़ सकेंगे।

10. माननीय सदस्यों की भावनाओं एवं उनकी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो वर्षों में, कुल 1 हजार 400 करोड़ रुपये, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक्स के निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं रिकार्पेटिंग पर ख़र्च करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस महत्त्वाकांक्षी योजना का वित्त पोषण, नाबार्ड के ऋण एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, राज्य की ग्रामीण सड़कों पर 7 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे एवं 16 किलोमीटर लंबाई के मिसिंग लिंक तथा 30 से 40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं रिकार्पेटिंग के कार्य होंगे।

ऊर्जा:

11. वर्ष 2011–12 में ऊर्जा क्षेत्र में 12 हजार 67 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय प्रस्तावित है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में की गई वृद्धि का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2011–12 में राज्य क्षेत्र में 1 हजार 860 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 810 मेगावाट क्षमता की वृद्धि संभावित है।

12. विद्युत वितरण कंपनियों की सेवाओं एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार लाने की दृष्टि से **O&M** वृत्तों, खंडों एवं उपखंडों का पुनर्गठन किया जायेगा एवं इस हेतु आगामी दो वर्षों में लगभग 8 हजार 500 नवीन पदों का सृजन किया जायेगा।

13. विद्युत आपूर्ति हेतु प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु 132 केवी के 38 ग्रिड सब–स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 20 सब–स्टेशनों को आगामी वर्ष के दौरान स्थापित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 132 केवी के 8 और सब–स्टेशनों पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही बूंदी, नदबई(भरतपुर), तेहनदेसर(चूरू) तथा बाप(फलोदी) में 220 केवी के ग्रिड सब–स्टेशनों पर, एवं अजमेर, बबई(झुंझुनूं), चित्तौड़गढ़, काकानी–जोधपुर, रामगढ़–जैसलमेर तथा बडला–जोधपुर में 400 केवी के ग्रिड सब–स्टेशनों पर भी, आगामी वर्ष कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

14. राज्य सरकार द्वारा गत् दो वर्षों में 1 लाख 52 हजार 781 कृषकों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। आगामी वर्ष 65 हजार किसानों को विद्युत कनेक्शन एवं 500 किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट प्रदान किये जायेंगे।

15. विद्युत दुर्घटना में आमजन की मृत्यु होने पर देय अनुदान राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये कर दी गई है।

16. इस वर्ष लगभग 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में भी 25 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

17. मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए हमने आगे बढ़कर, रतलाम से

http://finance.rajasthan.gov.in

डूंगरपुर–बांसवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि एवं परियोजना हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि का 1 हजार 200 करोड़ रुपये का अंशदान रेलवे को देने का निर्णय लिया है। हमें प्रसन्नता है कि इस लाइन के निर्माण की रेलवे बजट में घोषणा भी कर दी गई है। रेलवे लाइन के निर्माण से जहाँ एक ओर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं आदिवासी जिलों में औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

जल संसाधनः

18. राज्य के जल संसाधन सीमित हैं। मौसम में बदलाव के फलस्वरूप एक ओर जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या, जीवन शैली में बदलाव, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण इत्यादि के कारण मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इससे पानी की मांग व आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया है। इसलिए हमारा प्रयास है कि, उपलब्ध जल का संरक्षण कर आपूर्ति बढ़ाई जाये और जल के बेहतर प्रबंधन से मांग में कमी लाई जाये। इस दृष्टि से राज्य की जल नीति में उन समस्त उपायों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जो राज्य में जल संसाधन के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक हैं। अब समय आ गया है कि, जल के बेहतर प्रबंधन हेतु सुधारात्मक कदम उठाये जायें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष राजस्थान जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण गठित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान भू–जल नियंत्रण एवं प्रबंधन कानून बनाना भी प्रस्तावित है।

19. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं जल के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए बीकानेर में **'Hydrology and Water Management Institute** की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ।

20. आगामी वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं हेतु 715 करोड़ 97 लाख रुपये एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 152 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

21. वर्ष 2011–12 के दौरान 5 लघु परियोजनायें, चाकन–बूंदी, किशनपुरा लिफ़्ट–कोटा, बागदरी–चित्तौड़ एवं भीखाभाई सागवाड़ा कैनाल–डूंगरपुर की दो परियोजनायें, पूर्ण की जायेंगी, जिससे 4 हजार 647 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का विकास होगा।

22. नर्बदा नहर परियोजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 30 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा एवं लिफ़्ट कमांड क्षेत्र में 11 पंपिंग स्टेशनों पर पंप व मोटर आपूर्ति के कार्य भी प्रारंभ करवाये जायेंगे। हमारा यह प्रयास है कि नर्बदा नहर परियोजना का कार्य वर्ष 2012–13 तक पूर्ण हो जाये।

23. **Japanese International Co-operation Agency (JICA)** द्वारा पोषित राजस्थान सिंचाई सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्य वर्ष 2010–11 में प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 205 लघु सिंचाई **(minor irrigation)** परियोजनाओं के बांधों एवं नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया जायेगा, जिससे 84 हजार 400 हैक्टेयर क्षेत्र में काश्तकार लाभान्वित हो सकेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

24. विश्व बैंक पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना के अंतर्गत चंबल दायीं मुख्य नहर, जिससे कोटा एवं बारां जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, के सुदृढ़ीकरण के 160 करोड़ रुपये की लागत के कार्य प्रगति पर हैं, जो आगामी वर्ष तक पूर्ण हो जायेंगे।

25. पंजाब स्थित इंदिरा गांधी नहर फीडर की मरम्मत हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 952 करोड़ रुपये की योजना का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जायेगा। इसी प्रकार सरहिंद फीडर की मरम्मत हेतु केन्द्र सरकार ने 489 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। राजस्थान में स्थित इंदिरा गांधी नहर के फीडर की मरम्मत हेतु 401 करोड़ रुपये की योजना केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत करवा ली गई है।

26. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में आगामी वर्ष, 2 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोला जायेगा, जिसमें फलोदी लिफ़्ट में 1 हजार 500 हैक्टेयर, लूनार माइनर– जैसलमेर में 674 हैक्टेयर एवं गुंजनगढ़ वितरिका–जैसलमेर में 326 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

पेयजलः

27. राज्य में पेयजल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। राज्य की लगभग 91 प्रतिशत पेयजल योजनायें भू–जल पर आधारित हैं, किंतु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य में भू–जल की स्थिति गंभीर

होती जा रही है। राज्य के 249 में से 198 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। इस वर्ष तुलनात्मक रूप से अच्छे मानसून के बावजूद, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल की समस्या है। अतः राज्य सरकार ने, हैंडपंप मरम्मत, पेयजल परिवहन एवं पानी की उपलब्धता तथा आवश्यकता के अंतर के आधार पर नये स्रोत विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर संभव कदम उठाये जायेंगे और इसमें धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

28. राज्य में वर्ष 2010–11 में दिसंबर तक 445 अनुसूचित जाति **(SC)**, 567 अनुसूचित जनजाति **(ST)** एवं 312 अल्पसंख्यकों की बस्तियों में स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित किये गये हैं। चालू वर्ष के अंत तक इन श्रेणियों की 3 हजार 414 बस्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

29. चालू वर्ष में 6 वृहद् पेयजल परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा, जिनमें 89 करोड़ रुपये लागत की माणकलाव खांगटा–जोधपुर, 45 करोड़ रुपये लागत की ग्रामीण जल प्रदाय योजना गुलंडी–झालावाड़, 62 करोड़ रुपये लागत की कालीखार–झालावाड़, 124 करोड़ रुपये लागत की नागौर की मातासुख माइंस से जायल, 72 करोड़ रुपये लागत की आसपुर–डूंगरपुर तथा 33 करोड़ रुपये लागत की सरवाड़–अजमेर द्वितीय चरण योजनायें शामिल हैं।

30. चालू वित्तीय वर्ष में ही पीपाड़ शहर को इंदिरा गांधी नहर से, टोंक शहर को बीसलपुर से, राजसंमद जिले के आमेट कस्बे को

बघेरीकानाका बांध से तथा भरतपुर शहर को बंध बरेठा बांध से, नई पाइप लाइन बिछा कर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

31. पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु इस वर्ष, जयपुर शहर, शाहपुरा–जयपुर, विराटनगर, लक्ष्मणगढ़–सीकर, श्रीमाधोपुर, फुलेरा तथा मांगरोल–कोटा की योजनायें स्वीकृत की गयीं।

32. पेयजल हेतु वर्ष 2011–12 में राज्य योजना मद में 1 हजार 420 करोड़ रुपये का एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजना मद में 1 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति **(SC)** की 3 हजार 623 बस्तियों, अनुसूचित जनजाति **(ST)** की 1 हजार 112 बस्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय की 795 बस्तियों एवं 6 हजार 73 गाँवों एवं ढाणियों को विभिन्न योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी 839 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों एवं मोहल्लों में लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी।

33. शहरी क्षेत्रों में पुरानी लाइनों को बदलने, पंप व फिल्टर घरों के सुधार व अन्य आवश्यक कार्यों हेतु 183 कस्बों में लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

34. आगामी वर्ष 5 वृहद् परियोजनाओं–बाड़मेर लिफ़्ट परियोजना प्रथम चरण, केरू बेरू जोलियाली–जोधपुर, रेवा–झालावाड़, डांग–धौलपुर तथा फ़्लोराइड नियंत्रण अराई–अजमेर के कार्य पूर्ण कर

लिये जायेंगे। जोधपुर शहर की पेयजल योजना के पुनर्गठन का कार्य ए.एफ.डी., फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ किया जायेगा।

35. उदयपुर शहर की जल आपूर्ति हेतु क्रियान्वित की जा रही देवास परियोजना की कुल लागत 379 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक 202 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

36. बीकानेर शहर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 400 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के जल शोधक संयंत्र की एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का ख़र्चा आयेगा।

37. आगामी वर्ष पोकरण फलसूंड परियोजना के अंतर्गत पोकरण से बालोतरा, जवाई पाली परियोजना के अंतर्गत पाली से सोजत, अजमेर बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत नसीराबाद से ब्यावर तथा आपणी योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सुजानगढ़ तक पाइप लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दूदू–बीसलपुर परियोजना के तहत आगामी गर्मियों से पहले 265 गाँवों को और जोड़ दिया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

38. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी ख़र्चे के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर में समुचित कमी नहीं आ सकी है। यही स्थिति शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार

http://finance.rajasthan.gov.in

की है। यद्यपि नवीन सर्वेक्षणों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर में अर्जित औसत सुधार की तुलना में, राज्य में अधिक सुधार हुआ है, परंतु हम दक्षिणी राज्यों की तुलना में अभी भी लक्ष्य से काफी दूर हैं। हमें इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य मानकों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से, मैं विभिन्न योजनायें प्रस्तावित कर रहा हूँ।

39. राज्य के सर्वाधिक पिछड़े 50 खंडों को चिन्हित किया गया है तथा इन खंडों में, स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने हेतु, अतिरिक्त स्टॉफ, 108 एंबूलेंस तथा मेडिकल मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा स्टॉफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

40. राज्य में ऐसी मातायें, जिन्होंने एक या दो बालिकाओं के जन्म पर नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया है, उन्हें समाज में **'रोल मॉडल'** के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'ज्योति योजना' चलाई जायेगी। इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सृजन के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

41. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आगामी वर्ष 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना एवं 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।

42. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर **FRU** के संचालन हेतु आगामी वर्ष 335 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे, जिनमें

106 स्त्री रोग, 112 शिशु रोग तथा 100 निश्चेतन विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिला एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में आगामी वर्ष 47 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों **(CHC)** एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों **(PHC)** में रोग निदान सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु 116 लैब टैक्नीशियनों के पद सृजित किये जायेंगे।

43. राज्य में 114 ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत नहीं हैं। इन केन्द्रों हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद सृजित किये जायेंगे।

44. आगामी वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में 660 शैय्याओं की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

45. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित 15 जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटरों में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार 15 उप–प्रधानाचार्य एवं 123 नर्सिंग ट्यूटर के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

46. खदान क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों में सिलीकोसिस की बीमारी होने की अधिक आशंका रहती है। इसलिए चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में सिलीकोसिस की बीमारी के उपचार हेतु बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। खदान क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु

http://finance.rajasthan.gov.in

पर्यावरण स्वास्थ्य प्रशासन मंडल **(Environment Health Administration Board)** का गठन किया गया है। इस बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में आगामी वर्ष **Environment and Health Cess** में से 25 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान करते हुए खदान क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए चिकित्सा एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

47. आगामी वर्ष **'राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन'** का गठन करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस निगम के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए जैनरिक औषधियाँ, सर्जिकल एवं डाइग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद हेतु केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू की जायेगी।

48. राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ, 2 अक्टूबर 2011 से, निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में थेलेसीमिया और हिमोफिलिया के मरीजों को चिकित्सा सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।

49. राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से **'प्रेगनेंसी एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम प्लस'** योजना लागू करने हेतु समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को, इंटरनेट कनेक्शन सुविधा के साथ कंप्यूटर, उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिस पर 8 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत आयेगी।

50. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एंव संस्थागत प्रसव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु **NRHM** के अंतर्गत 975 नर्स ग्रेड–II एवं **GNM** की नियुक्तियां की जायेंगी।

51. पारंपरिक चिकित्सा पद्धत्तियों का लाभ जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, 289 आयुर्वेद, 40 यूनानी एवं 40 होम्योपैथी चिकित्सकों तथा 392 आयुर्वेद नर्स–कंपाउंडरों को नियुक्ति दी जायेगी।

52. वर्ष 2011–12 में ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों के 250 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से 77 आयुष चिकित्सालयों का 49 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

53. करौली जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल के नये भवन का निर्माण करवाया जायेगा।

54. आगामी वर्ष 250 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये का खर्चा होगा।

55. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु निरीक्षण, जन–जागरण इत्यादि गतिविधियाँ, **NGOs** के सहयोग से प्रारंभ की जायेंगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

56. आमजन हेतु टोलफ्री **'104 चिकित्सा परामर्श सेवा'** प्रारंभ की जायेगी।

57. राज्य में 1 जनवरी 2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना चलाई जा रही है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस योजना से 31 जनवरी 2011 तक लगभग 66 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति, जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं, के इलाज हेतु **'मुख्यमंत्री सहायता कोष'** के अंतर्गत देय चिकित्सा सहायता हेतु आय की पात्रता सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये वार्षिक निर्धारित की जायेगी।

चिकित्सा शिक्षाः

58. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन हेतु **'चिकित्सा शिक्षा निदेशालय'** की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ।

59. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टॉफ की कमी को देखते हुए वर्ष 2011–12 में नर्स ग्रेड–2 के 1 हजार पद, टेक्नीशियनों के 60 पद तथा वार्ड ब्वॉय के 150 पद स्वीकृत कर इन पर भर्ती की जायेगी।

60. वर्ष 2011–12 में, राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों को आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण पर 30 करोड़ रुपये

ख़र्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार से, स्नातकोत्तर सीट्स में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु आगामी वर्ष 52 करोड़ रुपये, एवं ट्रोमा इकाइयों हेतु 17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

61. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान तथा मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में **Emergency** एवं **OPD** ब्लॉक के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे तथा नई अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। मेडिकल कॉलेज, अजमेर में 180 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी, जिसमें से 50 शैय्यायें **ICU** की होंगी। मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के अंतर्गत महिला चिकित्सालय में 50 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी। मेडिकल कॉलेज, कोटा के नवनिर्मित भवन को क्रियाशील करने हेतु 5 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

62. जयपुर स्थित राजकीय दंत महाविद्यालय को राजस्थान हैल्थ साईंसेज़ यूनिवर्सिटी का संबद्ध कॉलेज बनाया जायेगा। राजकीय दंत महाविद्यालय के विकास पर यूनिवर्सिटी द्वारा 2 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः

63. राज्य में **'प्रशासन गाँवों के संग अभियान'** के अंतर्गत गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी के निःशक्तजनों के चिन्हीकरण का अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य किया गया। इस अभियान के माध्यम से लगभग 5 लाख से अधिक निःशक्तजनों की पहचान कर ली गई है तथा उनमें से

http://finance.rajasthan.gov.in

अब तक 2 लाख 94 हजार निःशक्तजनों को प्रमाण–पत्र भी जारी किये जा चुके हैं। पात्र निःशक्तजनों को पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

64. निःशक्तजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान हेतु मैं एक अलग **'निदेशालय'** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

65. निःशक्तजनों के पुनर्वास हेतु उच्च तकनीक, वैज्ञानिक देख–रेख एवं विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, **NGOs** के सहयोग से **'राजस्थान पुनर्वास संस्थान'** स्थापित किया जायेगा।

66. हमारी योजना है कि राज्य के सभी निःशक्त व्यक्तियों को, आवश्यक उपकरण, कृत्रिम पैर, बैसाखियाँ, ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स, जैसी भी उनकी आवश्यकता हो, उपलब्ध करवाकर अथवा यदि ऑपरेशन की आवश्यकता हो, तो ऑपरेशन करवाकर, आगामी तीन वर्षों में पुनर्वास किया जाये। मैं उद्योग जगत, निजी क्षेत्र एवं गैर–सरकारी संगठनों का आह्वान करता हूँ कि इस पुनीत कार्य में, वे अपना अधिकाधिक सहयोग देंगे।

67. आगामी वर्ष अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर, 50 व्यक्तियों की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

68. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तर्ज़ पर अनुप्रति योजना लागू कर, इन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों, जैसे **IIT, IIM, AIIMS** इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने पर 50 हजार रुपये, संघ लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्रमशः 1 लाख व 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

69. अपचारी बच्चों को सुरक्षित आश्रय सुलभ कराने हेतु, राज्य के अन्य जिलों की तरह ही प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भी संप्रेक्षण एवं किशोर गृह **(Observation and Children's Home)** की स्थापना की जायेगी।

70. राज्य के सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों में एवं पालनहार योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। अतः इन बच्चों की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर, इनके लिए **'मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना'** क्रियान्वित की जायेगी, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं इनका कौशल विकास भी किया जायेगा, ताकि इनका पुनर्वास संभव हो।

71. राज्य के संरक्षणविहीन उपेक्षित बच्चे, जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की **'समेकित बाल संरक्षण योजना'** क्रियान्वित की जायेगी।

72. राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, मूक–बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों हेतु संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों का मैस भत्ता, हमने वर्ष 2009–10 में 725 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हजार रुपये किया था, मैं अब इस भत्ते को बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

73. वर्तमान में **'नवजीवन योजना'** का संचालन आबकारी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का संचालन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। योजना के क्षेत्र को व्यापक करते हुए इस योजना में समाज के ऐसे वर्ग जिनका कोई स्थायी आवास या रोजगार नहीं है, जैसे भाट, भाण्ड, राणा, ढोली, नट व डोम इत्यादि को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

74. नवजीवन योजना से लाभान्वित परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त लाभान्वित परिवारों के बच्चों के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक छात्रावास खोला जायेगा। मादक पदार्थों के सेवन के आदी व्यक्तियों की नशे की लत छुड़वाने हेतु हनुमानगढ़ में नशामुक्ति केंद, **NGO** के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

75. विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु एक पैकेज लागू किया जायेगा। इस पैकेज में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में

http://finance.rajasthan.gov.in

प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि योजना, अनुप्रति विस्तार योजना, निःशुल्क कोचिंग योजना, गृह किराया योजना, प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना, छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना, छात्राओं के लिए 9 मॉडल गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना, 6 आवासीय विद्यालयों की स्थापना, बयाना में छात्राओं के लिए महाविद्यालय खोलना एवं डांग क्षेत्र की चुनिंदा तहसीलों में मोबाईल हॉस्पिटल खोलना तथा इन वर्गों के लोगों के लिए ऋण व अनुदान की व्यवस्था शामिल है। देवनारायण योजनान्तर्गत उपरोक्त कार्यों/कार्यक्रमों हेतु गुर्जर, गाड़िया लुहार, बंजारा एवं रैबारी समाज के लिए 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मैं घोषणा करता हूँ।

अल्प संख्यकः

76. राज्य में नया **'अल्पसंख्यक मामलात विभाग'** स्थापित किया गया है। सभी जिलों में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये हैं। इस विभाग को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

77. अल्प संख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा मिल सके, इस हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की हिस्सा पूंजी 7 करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर 11 करोड़ 71 लाख रुपये की जायेगी तथा ऋण लेने हेतु वर्तमान में दी गई 15 करोड़ रुपये की **government guarantee** को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जायेगा।

78. हमने अल्पसंख्यकों को कारोबारी ऋण में, समय पर चुकारा करने की शर्त पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दे रखी है। अब मैं घोषणा करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिला उद्यमियों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट दी जायेगी।

79. तालीम के माध्यम से ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विकास संभव है। अतः हमने यह निर्णय लिया है कि राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। इस वर्ष जयपुर में कन्या छात्रावास प्रारंभ किया जा रहा है तथा आगामी वर्ष कोटा और अजमेर में नये कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु लिये गये ऋण का, समय पर चुकारा करने पर, संपूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जायेगी।

80. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या 24 हजार से बढ़कर इस वर्ष 70 हजार से भी अधिक हो गई है। वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए एक नई **State Merit-cum-Means** छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जायेगी, जो चिन्हित मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, साईंस और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए होगी। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए अनुप्रति योजना भी प्रस्तावित है।

81. अल्पसंख्यक युवाओं के लिए हुनरमंद और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सुलभ कराने के उद्देश्य से रूडा, निर्माण अकादमी, कन्स्ट्रक्शन इन्डस्ट्रीज काउंसिल के माध्यम से दक्षता निर्माण कार्यक्रम संचालित करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए ईएमआई, राइसम आदि के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जायेगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को **Rajasthan Knowledge Corporation** के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर फीस में रियायत दी जायेगी।

82. आगामी वर्ष 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा तथा इनमें एक अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी और एक कंप्यूटर की सुविधा प्रदान की जायेगी। मदरसा टीचर्स के न्यूनतम मानदेय को बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **'मदरसा बोर्ड'** हेतु नये भवन का निर्माण करवाने की मैं घोषणा करता हूँ।

83. अजमेर स्थित, भाषायी अल्पसंख्यक राजकीय **STC,** जिसमें उर्दू के अतिरिक्त पंजाबी, सिंधी आदि अल्पभाषायी शिक्षक–प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, को वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया था। मैं इस **STC** को पुनः प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, राज्य के चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में, आगामी वर्ष 5 नये **ITI** स्थापित किये जायेंगे।

84. हज यात्रियों की सुविधा के लिए अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा उनके प्रत्येक जिला कार्यालय में हैल्प–डैस्क स्थापित की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

85. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किराये पर ली गई वक्फ़ संपत्तियों के किराये का पुनर्निर्धारण करवाया जायेगा ताकि वक्फ़ बोर्ड की राजस्व आय में वृद्धि हो सके। वर्तमान वित्तीय स्थिति देखते हुए वक्फ़ बोर्ड को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

जनजाति विकासः

86. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 250 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी छात्र क्षमता 16 हजार 375 है। इस वर्ष 62 नये छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माणाधीन 7 कन्या छात्रावासों को पूर्ण कर आगामी वर्ष में उनका संचालन प्रारंभ कर दिया जायेगा, जिसमें 350 छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा।

87. अनुसूचित जनजाति छात्रावास, आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्रों का मैस भत्ता 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

88. मैंने गत दिनों में बारां जिले का दौरा किया था। वहां के सहरिया परिवारों के अत्यधिक पिछड़े होने का कारण, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना एवं विभिन्न स्कीम्स के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होना है। हमने वर्ष 2009–10 में निर्णय लिया था कि सहरिया परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जाये। अब इन परिवारों

के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नानुसार एक पैकेज लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ:–

(1) किशनगंज और शाहबाद इलाके के सहरिया परिवार, केंद्र सरकार की पीटीजी **(Particularly Vulnerable Tribal Group)** योजना हेतु पात्र हैं, लेकिन बारां जिले के अन्य इलाकों में रह रहे सहरिया जाति के परिवार किसी भी विकास कार्यक्रम हेतु पात्र नहीं हैं। अतः समूचे बारां जिले के सहरिया परिवारों को, पीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति के अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।

(2) पीटीजी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले सहरिया परिवारों के बच्चों हेतु दो आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया जायेगा तथा 50 नये माँ–बाड़ी शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

(3) वर्तमान में संचालित 207 माँ–बाड़ी शिक्षा केन्द्रों के कर्मियों को सहरिया परिवारों के लिए **'फेसिलिटेटर'** के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

(4) किशनगंज–शाहबाद में सहरिया जाति के युवाओं के लिए एक नये **ITI** की स्थापना की जायेगी।

(5) महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उन्हें ब्याज अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

(6) रीको द्वारा कृषि प्रसंस्करण, विशेषकर वन उत्पादों हेतु एक नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी। इस क्षेत्र में

http://finance.rajasthan.gov.in

सहरिया युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त पर निवेश करने हेतु विशेष पैकेज लागू किया जायेगा, जिसके अंतर्गत **RIPS** से भी अधिक सुविधायें देय होंगी।

(7) बारां जिले के सहरिया परिवार भारी कर्ज़ से दबे हुए हैं। इन परिवारों का एक गहन सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के पश्चात् इनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए, इन परिवारों को नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने के पश्चात्, अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अलावा ऐसे निर्धनतम परिवारों के लिए अकलेरा क्षेत्र में एक आवासीय बस्ती का निर्माण करवाने की भी योजना है।

(8) सहरिया परिवारों की स्वामित्व वाली भूमि, जो अन्य लोगों के कब्जे में है, को मुक्त करवाकर उन्हें वापिस दिलवाई जायेगी।

(9) केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता के अंतर्गत सहरिया जनजाति के परिवारों हेतु आगामी वर्ष 1 हजार भवन निर्मित किये जायेंगे।

(10) सहरिया परिवारों को, फसली ऋण हेतु, शेयर पूंजी के पेटे अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

89. वर्ष 2010–11 में उदयपुर जिले की पिछड़ी जनजाति कथौड़ी के परिवारों के लिए 200 आवासीय भवनों के निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या में और वृद्धि की जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

90. राज्य के जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में, जनजाति के परिवारों को फ़सली ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस अनुदान राशि पर आगामी वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

91. केन्द्र सरकार द्वारा **PESA (Panchayats - Extension to the Scheduled Areas) Act 1996** के माध्यम से जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा **PESA Act** को, वर्ष 1999 में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन किया जायेगा तथा **PESA** नियम बनाकर, **PESA Act** के प्रावधानों के अनुसार जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे। इस क्रम में माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस–जैसे तेंदू पत्ता, गोंद, शहद आदि से प्राप्त होने वाली राशि को अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को हस्तांतरित किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकासः

92. महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत 9 हजार से अधिक साथिनों के मानदेय को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करता हूँ। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जायेगी।

93. महिला स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर, इन्हें स्थायित्व प्रदान करने एवं माईक्रोफाइनेंस द्वारा स्वावलंबन हेतु प्रेरित करने के लिए एक राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी निर्धारित की जायेगी। महिला स्वयं

http://finance.rajasthan.gov.in

सहायता समूहों के माध्यम से महिला विकास को बढ़ावा देने के लिए 45 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

94. राज्य में, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, सभी जिलों में पदेन संरक्षण अधिकारी बनाये हुये हैं। अधिनियम की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलों में इनके अतिरिक्त अलग से संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

95. महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा की घटनायें चिंता का विषय है। राज्य सरकार महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने व उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए संवेदनशील रही है। इसी दृष्टि से **'राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण एवं संरक्षण) विधेयक'** लाया जायेगा।

96. समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 55 लाख बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तायुक्त पोषाहार उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने निर्धारित अंशदान के अतिरिक्त, 177 करोड़ रुपये आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

97. **Rajasthan Knowledge Corporation** से कंप्यूटर के बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण लेने वाली राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लेने की मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रशिक्षण हेतु निर्धारित फीस की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

वन एवं पर्यावरणः

98. वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण तथा संवर्धन की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को **'अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष'** घोषित किया है। हम भी इसके लिए वचनबद्ध हैं। अतः राज्य के वन्यजीवों के आश्रय स्थलों के विकास के साथ–साथ ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

99. राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों एवं 5 गैर–मरुस्थलीय जिलों तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में **JICA** की बाह्य सहायता से 1 हजार 153 करोड़ रुपये की लागत का **Rajasthan Forestry and Bio-Diversity Project,** वर्ष 2011 से 2019 की अवधि में संचालित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण (Bio-diversity Conservation and Soil & Water Conservation) के कार्यों के अतिरिक्त, 650 गाँवों में ग़रीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, सूंडा माता–जालौर और गुढ़ा विश्नोई–जोधपुर को **'ईको–ट्यूरिज्म सेंटर्स'** के रूप में विकसित किया जायेगा।

100. वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुकंधरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षित क्षेत्र **(Tiger Reserve)** घोषित करने हेतु, केंद्र सरकार सिद्धांततः सहमत है तथा इस संबंध में शीघ्र ही कार्ययोजना बनाई जायेगी।

101. **CAMPA** (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) का उपयोग करते हुए आगामी वर्ष, बीकानेर,

http://finance.rajasthan.gov.in

जोधपुर एवं नागौर जिलों में, वन्यजीवों के समुचित उपचार एवं पुनर्वास हेतु, 4 उपचार एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा रणथम्भौर से मुकन्दरा की पहाड़ियों तक बाघों के प्राकृतिक आवास हेतु कॉरिडोर का विकास किया जायेगा।

102. रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में एक मोबाईल रेस्क्यू वैन, दो पशु चिकित्सकों के साथ उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ गाँव के 5 हजार परिवारों को कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु 1 हजार रुपये प्रति गैस कनेक्शन अनुदान दिया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजः

103. ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। वर्तमान में औसतन 65 हजार परिवारों को प्रतिवर्ष इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि **'प्रशासन गाँवों के संग अभियान'** के तहत लगभग 1 लाख बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टे उपलब्ध कराये गये, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन स्वरूप 95 हजार अतिरिक्त इंदिरा आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार आगामी वर्ष में 1 लाख 58 हजार इंदिरा आवास निर्मित करवाया जाना संभव हो सकेगा।

104. राज्य में ग्रामीण बीपीएल आवासों की लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए 3 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा आवास

http://finance.rajasthan.gov.in

योजना की तर्ज पर **'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'** लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस योजना में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के अतिरिक्त, आगामी वर्ष 1 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से, 2 लाख 80 हजार आवास स्वीकृत किये जायेंगे। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में, 2–2 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किये जायेंगे। इस योजना के वित्त पोषण हेतु जिला परिषदों द्वारा **HUDCO** से ऋण लिया जायेगा। इस प्रकार **'इंदिरा आवास योजना'** एवं **'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'** के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे।

105. राज्य के विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भी महती भूमिका है। इन संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक **'राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद'** का गठन किया जायेगा।

106. धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारां जिले हेतु डांग क्षेत्र विकास बोर्ड का प्रावधान 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपये किया जायेगा। मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड, जिसके अंतर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली व राजसमन्द जिलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य किये जाते हैं, का प्रावधान 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है। राज्य के अलवर एवं भरतपुर जिले में मेव बाहुल्य विकास खंडों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रावधित राशि 7 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

107. **'प्रशासन गाँवों के संग अभियान'** के दौरान ग्राम पंचायतों की चरागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या सामने आई थी। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिक्रमण पंचायत राज संस्थाओं को विश्वास में लेकर हटाये जायेंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त भूमि पर चरागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं **(Water Harvesting Structures)** का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जायेंगे, ताकि भूमि की सुरक्षा के साथ–साथ पशुधन के लिए चारा उपलब्ध हो सके।

108. वर्तमान में राज्य में बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एमपॉवर (Mitigating Poverty in Western Rajasthan) एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त हाल ही में घोषित, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संपूर्ण प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा। इस मिशन के अंतर्गत, प्रथम चरण में आगामी वर्ष 16 जिलों के 10 हजार निर्धनतम बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

109. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, जिला परिषद स्तर पर मुख्य विधि सहायक के 33 नवीन पद, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत प्रसार अधिकारी के 182 अतिरिक्त पद, कनिष्ट लिपिकों के 309 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 209 पद सृजित किये जायेंगे। इन पदों के सृजन से, लंबे समय से नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा कर रहे, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति मिल सकेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

इसके साथ ही पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंताओं के 121 रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों के 703 पदों पर चयन किया जाकर, जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है।

110. जिला परिषद, बारां एवं प्रतापगढ़ हेतु नये कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

111. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न करों का हिस्सा, पंचायती राज संस्थाओं को दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2011–12 में, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत देय 575 करोड़ 84 लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को 1 हजार 491 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। समिति की सिफारिश के अनुसार, जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को, पूर्व वर्ष से अधिक, कर राजस्व अर्जित करने की स्थिति में, प्रोत्साहन के रूप में, अतिरिक्त राशि दी जायेगी।

112. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों के कारण उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वर्ष, सभी पंचायत समितियों के प्रधानगणों के उपयोग हेतु, एक वाहन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर 12 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्चा होगा।

कृषिः

113. जल की कमी को देखते हुए फसलों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण एवं उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस वर्ष लगभग 7 हजार 500 डिग्गियों, फार्म पोण्ड्स एवं टांकों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 15 हजार करना प्रस्तावित है। वर्तमान में डिग्गी निर्माण पर 2 लाख रुपये एवं फार्म पोण्ड के निर्माण पर 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। फार्म पोण्ड निर्माण हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।

114. उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग की दृष्टि से, कपास, गन्ना, सब्जियाँ एवं अन्य न्यून अंतराल वाली फसलों हेतु आगामी वर्ष से बूँद–बूँद सिंचाई हेतु दिये जाने वाले अनुदान की दर 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की मैं घोषणा करता हूँ, जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

115. राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा उर्वरकों के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2010–11 में 3 लाख मैट्रिक टन डीएपी का बफर स्टॉक रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप मांग के अनुसार इसकी आपूर्ति संभव हो सकी। वर्ष 2011–12 में राजफैड के माध्यम से 3 लाख 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भंडारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त तिलहनी फसलों के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजफैड के माध्यम से एक लाख मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का बफर स्टॉक रखा जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

116. विश्व बैंक के सहयोग से लगभग एक हजार करोड़ रुपये की **'राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना'** लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत, चयनित क्षेत्रों में कृषि, उद्यानिकी, पशु–पालन, जल संसाधन के कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग एवं विपणन से संबंधित कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे। हमारा यह प्रयास है कि वर्ष 2011–12 में इस परियोजना की स्वीकृति प्राप्त कर इसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाये।

117. भरतपुर में एक **'राज्यस्तरीय एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग सेंटर'** की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस सेंटर की स्थापना से प्रदेश के कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन संभव हो सकेगा।

118. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में छात्राओं के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक कन्या छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा।

सहकारिताः

119. राजसमन्द एवं करौली में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है। इन बैंकों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 50–50 लाख रुपये की अंश पूंजी उपलब्ध करवाई जायेगी।

120. गत् वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक काश्तकारों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाये गये। वर्ष 2008–09

http://finance.rajasthan.gov.in

में लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये के एवं वर्ष 2009–10 में 3 हजार 300 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण वितरण करना संभव हो सका, जिससे लगभग 22 लाख से अधिक काश्तकार लाभान्वित हुए हैं। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले वर्ष 6 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार सहकारी बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में 72 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी।

121. चालू वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों में 100 लैंप्स खोले गये। आगामी वर्ष भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के जनजाति क्षेत्र में तथा किशनगंज एंव शाहबाद के सहरिया क्षेत्र में नये 100 लैंप्स खोले जायेंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

122. **TSP** क्षेत्रों के सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले जनजाति के सभी बीपीएल परिवारों को शेयर पूंजी का अंशदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि ये लोग ऋण प्राप्त कर सकें। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

123. प्रतापगढ़ एवं करौली जिलों में उपभोक्ताओं को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु उपभोक्ता होलसेल भंडारों का गठन किया जायेगा।

पशुपालनः

124. प्रदेश में पशुधन विकास के लिए आगामी वर्ष, 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में, 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु औषधालयों में, तथा 45 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

125. राज्य में 6 संभागीय मुख्यालयों तथा भीलवाड़ा, चूरू, बाड़मेर एवं नागौर जिला मुख्यालयों में एपीएल परिवारों को गेहूँ के स्थान पर फोर्टीफाईड आटा उपलब्ध करवाने की योजना प्रारंभ की गई है। चरणबद्ध रूप से अन्य जिलों में भी इस योजना को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को भी फोर्टीफाईड आटा उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है।

126. माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया **'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान'**, बहुत सफल रहा है। राज्य के जिला मुख्यालयों में पीपीपी मोड पर स्थायी प्रयोगशालाओं की स्थापना कर, इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।

127. गत् बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के सभी बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को 2 रुपये किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस श्रेणी में नये जुड़े परिवारों, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक है, को भी इसी दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

श्रम एवं रोजगारः

128. राज्य के युवाओं के लिए कौशल एवं आजीविका विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में **'राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन'** की स्थापना की जायेगी। इस मिशन के अंतर्गत 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास परिषद' तथा 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम' स्थापित होंगे। विकास परिषद नीतिगत निर्देश प्रदान करेगी तथा निगम, पूर्व में राज्य में कार्यरत **RMoL** का स्थान लेगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन तथा इसके अंतर्गत कार्य करने वाले संगठनों हेतु, एक कार्यालय भवन का, 4 करोड़ रुपये की लागत से, निर्माण करवाया जायेगा।

129. राज्य के गैर–संगठित कामगारों के लिए संचालित **'विश्वकर्मा गैर–संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना'** के सदस्यों को केंद्र सरकार की **'स्वावलंबन योजना'** से लाभान्वित किया जायेगा। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सदस्यों द्वारा जमा कराई राशि एक हजार रुपये से कम होने पर, अंतर राशि, राज्य सरकार द्वारा एक बारगी अनुदान के रूप में, जमा कराई जायेगी, ताकि विश्वकर्मा योजना के सदस्य स्वावलंबन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें।

130. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रथम चरण में सभी सात संभागीय मुख्यालयों पर असंगठित श्रमिकों, जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा नरेगा श्रमिक शामिल हैं, पर लागू की जायेगी, जिससे लगभग 1 लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

131. 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम' का राज्य में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करवाने हेतु 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' का गठन किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत सैस से अब तक लगभग 36 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई है। इसी क्रम में, मैं, महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता देने तथा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मंडल के माध्यम से योजनायें लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

शिक्षाः

132. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु, 300 संस्कृत शिक्षकों सहित, 50 हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में **Right to Education Act** लागू होने के परिणामस्वरूप, अध्यापकों की नियुक्ति से पूर्व अध्यापक पात्रता परीक्षा **(TET)** उत्तीर्ण करना आवश्यक हो गया है। हमने **TET** के आयोजन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत कर दिया है और शीघ्र ही राज्य में इसका आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति प्रक्रिया में, विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर न्यायिक प्रक्रिया के कारण जो विलंब हुआ, उसका भी समाधान होने से अब ये नियुक्तियां देना शीघ्र संभव हो सकेगा।

133. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए, प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड–द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के, कुल 25 हजार 406 नये पद स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

134. **Right to Education Act** के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को स्कूल की शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक चाईल्ड–ट्रेकिंग सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य में अनामांकित अथवा ड्रॉप–आउट बच्चों की संख्या लगभग 12 लाख है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना बनाकर अनामांकित एवं ड्रॉप–आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय जन–प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

135. आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को, अपने रहवास वाले गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राजकीय विद्यालयों में, आठवीं कक्षा पास करके कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर, साईकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। साईकिलों हेतु, छात्राओं के अंशदान की राशि 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये की जायेगी। छात्राओं को साईकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाऊचर योजना का लाभ लेने का भी विकल्प दिया जायेगा। साईकिल योजना में इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप, आगामी वर्ष, कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत लगभग 1 लाख 42 हजार छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

136. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा **'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना'** संचालित है। वर्तमान योजना में आठवीं तक के विद्यार्थियों का

20 हजार रुपये का एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का 50 हजार रुपये का बीमा किया जाता है। आगामी वर्ष से कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का 1 लाख रुपये का बीमा किया जायेगा।

137. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के बच्चों में अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है। आगामी वर्ष उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही तथा प्रतापगढ़ जिलों की 500 आंगनबाड़ियों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री–स्कूल शिक्षा दिलाने हेतु, एक नया पद स्वीकृत कर, इन पदों पर **NTT** योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

138. **Right to Education Act, 2009** के 1 अप्रेल, 2010 से लागू होने के पश्चात् **NCTE** के निर्देशानुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही अध्यापकों के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके कारण अधिकांश विधवा अथवा परित्यक्ता महिलायें, जो **BSTC** अथवा **B.Ed.** उत्तीर्ण नहीं हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी महिलाओं हेतु **'विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना'** चलायी जाकर उन्हें सरकारी खर्चे पर **BSTC** अथवा **B.Ed.** की योग्यता अर्जित करने की सुविधा दी जायेगी।

139. अध्यापक ग्रेड–II के उर्दू शिक्षकों के 62 रिक्त पदों पर नियुक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष अध्यापक तृतीय श्रेणी के 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

140. शिक्षा की दृष्टि से, राज्य के पिछड़े हुए 186 ब्लॉक्स, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दर कम है तथा जेंडर गैप अधिक है, में से, 134 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। इन मॉडल स्कूलों के निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

141. राजकीय महिला महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर के भवन निर्माण का कार्य 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

142. आगामी वर्ष महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के 200 रिक्त पदों को भरा जाना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षाः

143. राज्य में पीपीपी मोड के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहायता से कोटा में एक **IIIT** की स्थापना की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा **IIIT** की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि एवं 45 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति केन्द्र सरकार को भिजवा दी गई है।

144. केंद्र सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के अंतर्गत राज्य के 10 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार से 55 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा।

145. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संगठक अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एरोनोटिकल/स्पेस इंजीनियरिंग एवं पैट्रोलियम इंजीनियरिंग के दो नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।

146. उदयपुर तथा सहरिया क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

147. राज्य में बाड़मेर, बारां, चूरू, करौली, धौलपुर एवं जैसलमेर जिलों में वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। अतः निजी क्षेत्र में इन जिलों में इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी।

युवा मामले एवं खेलः

148. वर्तमान वर्ष खेलों की दृष्टि से राजस्थान के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों तथा ग्वांगझू, चीन में हुए एशियाई खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजस्थान की क्रिकेट टीम ने इस वर्ष रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उदयपुर में माह जनवरी में संपन्न राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ–साथ पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका एवं भूटान से आये लगभग 5 हजार प्रतिभागियों द्वारा कला एवं संस्कृति के इस अनूठे समागम का भरपूर आनंद उठाया गया। हैदराबाद में हुई स्काउट्स एवं गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी में भी राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मैं, माननीय सदन और राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश की इन सभी प्रतिभाओं को बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

149. राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए, खेलों को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया है, ताकि भविष्य

http://finance.rajasthan.gov.in

में ऐसी ही उपलब्धियां अर्जित हो सकें। राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 78 नये प्रशिक्षकों एवं सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल प्रबंधकों **(Sports Managers)** की नियुक्ति की जायेगी। जयपुर में क्रिकेट हेतु एक नया स्टेडियम विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन **(RCA)** को आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। भरतपुर में खेलों, विशेषकर कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए खेल संकुल की स्थापना की जायेगी।

150. राज्य में, वर्तमान में खेलों के लिए अलग से प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। अतः पीपीपी मोड पर झुंझुनूं में **'Physical Education and Sports University'** स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ।

151. आगामी वर्ष में **untied fund** के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि, खेलों के प्रोत्साहन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

152. आगामी वर्ष राजकीय विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु 4 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। राजकीय विद्यालयों के साथ–साथ निजी विद्यालयों में भी स्काउट की गतिविधियां संचालित की जायेंगी। साथ ही एक लंबे अंतराल के बाद राज्य में स्काउट एवं गाईड की जंबूरी भी आयोजित करवाई जायेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीः

153. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प आय वर्ग के परिवारों के लगभग 7 हजार मेधावी छात्र–छात्राओं को सेटकॉम के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की सुविधा आगामी वर्ष से प्रदान की जायेगी। भविष्य में इस सुविधा का विस्तार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारी की कोचिंग हेतु भी किया जायेगा।

154. राज्य में प्रथम बार, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करवाना प्रस्तावित है।

155. **'नैनो टेक्नोलॉजी'** में उच्च स्तरीय अनुसंधान व शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय के **'सेंटर फॉर कनवर्जिंग टेक्नोलोजीज़'** में, स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

156. आगामी वर्ष में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विज्ञान क्लबों की संख्या 2 हजार 222 से बढ़ाकर 5 हजार किया जाना प्रस्तावित है तथा इन क्लबों को दी जा रही वित्तीय सहायता भी 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारः

157. वर्तमान समय में **e-governance** के बिना **good governance** संभव नहीं है। अतः शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्य सरकार के योजना बजट का 3 प्रतिशत भाग,

http://finance.rajasthan.gov.in

विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं कंप्यूटराईजेशन पर ख़र्च करने के निर्देश दिये थे। आगामी वर्ष इस हेतु लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्त्व को देखते हुए, इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

158. राज्य में इस वर्ष एक नवीन आधुनिक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए आगामी वर्ष ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लगभग 3 हजार 400 सरकारी कार्यालयों को **'राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क'** से जोड़कर, 120 करोड़ रुपये की लागत से सूचना–तंत्र विकसित किया जायेगा।

159. विभिन्न जन–सेवायें, जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायों तथा अन्य संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, **'राजस्थान ऑन लाइन परियोजना'** लागू की जायेगी, ताकि ई–गवर्नेंस का वास्तविक लाभ जनता को सुलभ हो सके।

160. इसके अतिरिक्त, **State Service Delivery Gateway** योजनान्तर्गत 7 विभागों की 42 सेवाओं हेतु घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

161. अजमेर और जोधपुर जिलों में पायलट आधार पर ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत जिला कलक्टर कार्यालय से जुड़ी हुई सेवायें इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जायेंगी।

162. राज्य सरकार के संवेदनशील, जवाबदेह एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प के क्रम में भंडार क्रय नियम एवं निविदा प्रणाली **(Store Purchase Rules and Tender System)** में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु **'राजस्थान पारदर्शिता विधेयक' (Rajasthan Transparency Act)** लाया जायेगा। इस विधेयक में ई–प्रोक्योरमेंट को चरणबद्ध रूप से लागू करने के प्रावधान भी शामिल किये जायेंगे। प्रथम चरण में अभियांत्रिकी विभागों की 50 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाओं हेतु ई–प्रोक्योरमेंट का उपयोग करना अनिवार्य किया जायेगा।

उद्योगः

163. मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, भारतीय प्रवासी दिवस–2012 का आयोजन 7 से 9 जनवरी को जयपुर में कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

164. राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक एवं निवेश नीति–2010 जारी की चुकी है तथा सिंगल विन्डो अधिनियम भी इसी सत्र में लाया जा रहा है। सिंगल विन्डो ऑर्डिनेंस एवं तत्संबंधी नियमों के अंतर्गत अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिलों में 10 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश की

परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था लागू की गई है। मैं अब इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने की घोषणा करता हूँ।

165. राज्य के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के, चोहटन एवं शिव में हस्तशिल्प, कसीदाकारी इत्यादि कार्यों से अनेक महिलायें जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को संबल प्रदान करने की दृष्टि से, इनके स्वयं सहायता समूह गठित करवाये जायेंगे। इन समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा तथा इनके उत्पादों के विपणन के लिए भी व्यवस्था की जायेगी।

166. पाली, जोधपुर, बालोतरा में वस्त्रों की रंगाई–छपाई से हो रहे प्रदूषण में कमी लाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वहाँ पर पावर लूम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाये। अतः इस क्षेत्र के लिए एक निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी।

167. खादी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए, पूर्व की भांति इन उत्पादों पर, विशेष अवधियों में, छूट दी जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष के प्रावधान को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये किया जायेगा।

168. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली–मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर की स्थापना की जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 1 हजार 483 किलोमीटर है। इस कॉरीडोर का 39 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा। फ्रेट कॉरीडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर भाग को

इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा। इन कॉरीडोर्स की स्थापना एवं संभावित **National Manufacturing Zone** के मद्देनज़र प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं।

169. सिरेमिक एवं ग्लास हेतु राज्य में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है, किंतु इनके मूल्य संवर्धन हेतु पर्याप्त संख्या में उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नीमराना के पास घीलोट में विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 750 एकड़ भूमि सिरेमिक हब हेतु आरक्षित की जाये।

170. रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन हेतु निःशक्तजनों को 15 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत एवं महिलाओं को 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत रियायत देने की मैं घोषणा करता हूँ।

171. वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत दक्षता विकास योजना के तहत भीलवाड़ा, भिवाड़ी, पाली, बालोतरा एवं जोधपुर आदि वस्त्र उद्योग बाहुल्य क्षेत्रों में आगामी 2 वर्षों में **Apparel Training and Development Corporation (ATDC)** द्वारा 10 **'स्मार्ट केंद्र'** स्थापित कर इनके माध्यम से लगभग 12 हजार युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाकर उन्हें वस्त्र उद्योगों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जायेंगे। इन केन्द्रों की स्थापना से निवेश की संभावनायें बढ़ेंगी। आगामी वर्ष 5 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से लगभग 6 हजार युवाओं एवं महिलाओं

http://finance.rajasthan.gov.in

को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसके लिए राज्य सरकार 2 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता उपलब्ध करायेगी।

172. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ जिलों में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज लागू किया जायेगा।

पैट्रोलियम एवं खनिजः

173. राज्य में पैट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना के संबंध में गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि प्रथम चरण में बाड़मेर में 4.5 से 6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी की स्थापना की जा सकती है। समिति ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह परियोजना लागत के 26 प्रतिशत तक इक्विटी सहभागिता करे तथा तेल विपणन कंपनियों से 5 प्रतिशत डिस्काउंट पर मार्केटिंग टाइअप किये जायें और रिफाइनरी को कच्चे तेल की खरीद पर 1 डॉलर प्रति बैरल की सहायता दी जाये। राज्य सरकार द्वारा समिति की अनुशंसा मानली गई है तथा प्रकरण केंद्र सरकार को अग्रेषित किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान रिफाइनरी में 5 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता हेतु अपनी सहमति दे दी गई है तथा **ONGC** से राज्य सरकार के अधिकारियों का विचार–विमर्श जारी है जिसके सकारात्मक परिणाम आने की आशा है।

174. माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 7 फरवरी 2011 को भारत पैट्रोलियम लिमिटेड के साथ रिफाइनरी उत्पादों के विपणन हेतु मुंबई में **MoU** भी निष्पादित किया गया है, जो रिफाइनरी स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

175. राज्य में खनिज तथा पैट्रोलियम की राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आगामी वर्ष में राजस्व वृद्धि के साथ–साथ हमारा उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना तथा पर्यावरण सुरक्षा एवं खान श्रमिकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

176. बॉर्डर होमगार्ड्स के जवानों ने अवैध खनन रोकने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। आगामी वर्ष भी बॉर्डर होमगार्ड्स की 5 बटालियनें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात की जायेंगी जिन पर लगभग 8 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। आगामी वर्ष खान एवं भूगर्भ विभाग की सतर्कता शाखा का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

177. विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल के, वैज्ञानिक एवं सुरक्षित दोहन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मकराना–परबतसर रेल मार्ग के डाइवर्जन के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपये की राशि रेलवे को उपलब्ध कराई गई है। इस डाइवर्जन के पूरा होने पर, जहाँ मकराना मार्बल के सुरक्षित खनन हेतु अधिक भूमि उपलब्ध होगी, वहीं परबतसर के निवासियों को रेल सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

परिवहनः

178. राज्य में वाहनों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2011 में राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या 77 लाख से अधिक होने का अनुमान है। वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी से परिवहन विभाग का रोजमर्रा का कार्य तो बढ़ा ही है साथ ही विभाग के लिए आवश्यक हो गया है कि सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

179. राज्य सरकार द्वारा गठित **'रोड़ सेफ़्टी काउंसिल'** के सुझाव प्राप्त हो गये हैं तथा उन पर अमल भी शुरू किया जा चुका है। काउंसिल की सिफारिशों को लागू करने के लिए मैं 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अंशदान से **'रोड़ सेफ्टी फंड'** के गठन की घोषणा करता हूँ।

180. लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जायेगा। प्रथम चरण में आगामी वर्ष सभी संभागीय मुख्यालयों में ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन की व्यवस्था की जायेगी। आगामी दो वर्षों में, लर्नर लाइसेंस परीक्षा के उपरांत, सभी चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

181. सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से रिकार्ड रूम निर्मित करवाये जायेंगे। रिकार्ड रूम में, रिकार्ड की ट्रेकिंग सोफ्टवेयर के माध्यम से की जा सकेगी।

182. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगामी वर्ष अपने बेड़े में एक हजार नई बसें शामिल करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा

http://finance.rajasthan.gov.in

पीपीपी मॉडल पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया जायेगा और अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा। निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु इसका **restructuring** किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा, रियायती यात्राओं एवं डीज़ल पर वैट के आंशिक भुगतान हेतु, निगम को आगामी वर्ष 45 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

183. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिकों की आयुसीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किये जाने की, मैं घोषणा करता हूँ।

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकासः

184. केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही **'राजीव आवास योजना'** के अंतर्गत कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य के शहरों का सर्वे करवाया जा रहा है। प्रारंभिक आकड़ों के अनुसार 3 लाख परिवारों का सर्वे हुआ है, एवं सर्वे पूर्ण होने पर, इस संख्या में वृद्धि होगी। केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर इन परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाये जायेंगे।

185. सभी नगरीय निकायों में स्थायी रैन–बसेरों का चरणबद्ध रूप से निर्माण करवाया जायेगा। प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपये की लागत से 50 रैन–बसेरों का निर्माण कर, इनमें पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग व्यवस्था की जायेगी।

186. मैंने पिछले बजट भाषण में राज्य के विभिन्न शहरों में चरणबद्ध रूप से **ROB** (रेलवे ओवर ब्रिज) बनाने की घोषणा की थी। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि राज्य सरकार के प्रयासों से रेल मंत्रालय द्वारा राज्य में 29 **ROB** स्वीकृत किये गये हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक हैं। इनके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अथवा नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। इनमें से आगामी वर्ष में 25 **ROB** का निर्माण कार्य करवाया जायेगा। इसके अलावा 5 **ROB** का निर्माण राज्य सरकार व नगरीय निकाय अपने स्रोतों से करायेंगी।

187. उपरोक्त के अलावा बीकानेर शहर में रेलवे लाइन के कारण यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन गजनेर **ROB** के अतिरिक्त चौखूंटी रेलवे क्रोसिंग पर भी लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से **ROB** बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त पाली शहर में भी 22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से **ROB** के निर्माण का कार्य **RSRDCC** के माध्यम से करवाया जायेगा।

आगामी वर्ष निर्मित कराये जाने वाले ROBs का विवरण एवं अनुमानित लागत इस प्रकार हैः—

1.	अजमेर	नरेली रोड़, अजमेर सिटी	42 करोड़ रुपये
2.	अलवर	अलवर यार्ड	26 करोड़ रुपये
3.	जयपुर	कनकपुरा धानक्या	44 करोड़ रुपये
4.	जयपुर	जाटावाली से कालाडेरा वाया चौमूं	41 करोड़ रुपये
5.	जयपुर	आगरा रोड़ बस्सी यार्ड	43 करोड़ रुपये
6.	जयपुर	जयपुर खातीपुरा सी—जोन बाईपास के पास	41 करोड़ रुपये

http://finance.rajasthan.gov.in

7.	जयपुर	झोटवाड़ा रोड़ दादी का फाटक सीकर लाइन	42 करोड़ रुपये
8.	जोधपुर	जोधपुर ओसियां रोड़ पर माणकलाव के पास	36 करोड़ रुपये
9.	जोधपुर	पावटा बी रोड़ लिंक रोड़ नेशनल हाइवे– 65	25 करोड़ रुपये
10.	जोधपुर	आरटीओ के पास	30 करोड़ रुपये
11.	जोधपुर	सारंग नगर के पास	32 करोड़ रुपये
12.	अजमेर	किशनगढ़ गीगल खेड़ी अजमेर किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग	45 करोड़ रुपये
13.	नागौर	कुचामन सिटी मकराना	26 करोड़ रुपये
14.	सीकर	रींगस शहर	33 करोड़ रुपये
15.	सीकर	नीमकाथाना शहर	33 करोड़ रुपये
16.	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़ जंक्शन के पास	29 करोड़ रुपये
17.	श्रीगंगानगर	आजाद सिनेमा के पास	33 करोड़ रुपये
18.	बाड़मेर	सर्किट हाउस के पास	16 करोड़ रुपये
19.	अलवर	अलवर मथुरा बाइपास	41 करोड़ रुपये
20.	चित्तौड़गढ़	कुंभानगर	9 करोड़ रुपये
21.	कोटा	माला रोड़	28 करोड़ रुपये
22.	करौली	स्टेशन रोड़–हिंडौन	48 करोड़ रुपये
23.	अलवर	कला महाविद्यालय के पास	18 करोड़ रुपये
24.	जोधपुर	खतरनाक पुलिया के पास	35 करोड़ रुपये
25.	जोधपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग 65 एवं 112 का लिंक	26 करोड़ रुपये
26.	श्रीगंगानगर	संगरिया कस्बा	26 करोड़ रुपये
27.	कोटा	कोटा बूंदी रोड़	28 करोड़ रुपये
28.	झालावाड़	संवासरा (एमडीआर 45)	16 करोड़ रुपये
29.	करौली	नादौती श्रीमहावीरजी (एमडीआर 67)	19 करोड़ रुपये
30.	जयपुर	फुलेरा जोबनेर रोड़ (एमडीआर 59)	22 करोड़ रुपये
31.	बीकानेर	चौखूंटी रेलवे क्रोसिंग	20 करोड़ रुपये
32.	पाली	पाली शहर	22 करोड़ रुपये

http://finance.rajasthan.gov.in

188. इस प्रकार आगामी वर्ष में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 32 **ROB** का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।

189. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना **(RUIDP)** के तृतीय चरण के अंतर्गत एशियन विकास बैंक से लगभग 900 करोड़ रुपये का ऋण लेकर राज्य के शहरों एवं कस्बों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जायेगा।

190. बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना में सिवरेज़ परियोजनायें तथा सांगोद में जल परियोजना, जिनकी कुल लागत लगभग 311 करोड़ रुपये है, क्रियान्वित की जायेंगी। इस राशि में से, 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा शेष राशि, संबंधित नगरीय निकायों द्वारा, स्वयं के संसाधनों अथवा ऋण लेकर, वहन की जायेगी।

191. जयपुर के दक्षिणी भाग में 47 किलोमीटर लंबाई की रिंग रोड़ का निर्माण कार्य **BOT** आधार पर शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

192. जयपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन **(DMRC)** के सहयोग से, मेट्रो रेल परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा। प्रथम चरण में, राज्य सरकार के अपने संसाधनों से, **DMRC** के माध्यम से, लगभग 1 हजार 250 करोड़ रुपये की लागत के सिविल कार्य प्रारंभ हो गये हैं। प्रथम चरण की भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

इसके साथ–साथ दूसरा चरण, जो पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जायेगा, के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस हेतु भी केन्द्रीय मंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

193. राज्य में स्थित झीलों के संरक्षण हेतु राजस्थान झील विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

194. जयपुर व अन्य शहरों में हैरीटेज कंजर्वेशन हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। राज्य में Institute of Museum and Heritage Studies की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस Institute की स्थापना एवं हैरीटेज कंजर्वेशन के कार्यों हेतु, आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

195. प्रशासन गाँवों के संग अभियान पूर्णतः सफल रहा, अतः आगामी वर्ष, 2 अक्टूबर से, **'प्रशासन शहरों के संग अभियान–2011'** चलाया जायेगा, ताकि शहरी नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। इसकी सफलता हेतु सदन के पक्ष–प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है ।

196. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों हेतु **performance grant** की पात्रता हेतु अन्य शर्तों के साथ, एक शर्त यह भी निर्धारित की गई है कि, संसाधन विकसित करने हेतु निकायों द्वारा **'संपत्ति कर'** की वसूली की जाये। वर्तमान में संपत्ति कर का आकलन, क्षेत्रफल एवं मूल्य आधारित जटिल प्रक्रिया से किया जाता है।

अतः सर्वसाधारण की सुविधा देखते हुए राज्य में **'संपत्ति कर'** का निर्धारण, **Unit Area Method** से किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नागरिकों को **self assessment** की सुविधा भी दी जायेगी।

197. राज्य के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर है और आम जनता को इनसे काफी अपेक्षायें रहती हैं। अतः इनकी सहायतार्थ, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों, चुंगी के पेटे क्षतिपूर्ति, शहरी विकास कोष, करों में हिस्से एवं स्ट्रीट लाईट की बकाया, के पेटे आगामी वर्ष राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को 1 हजार 453 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

पर्यटनः

198. प्रदेश में **Adventure Tourism** के विकास की विपुल संभावनायें हैं। अन्तरराष्ट्रीय पतंग एवं बैलून महोत्सव की सफलता को देखते हुए भविष्य में भी ऐसे महोत्सव आयोजित किये जायेंगे। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में सिलिसेड में वॉटर स्पोर्ट्स, लाखेला तालाब–कुंभलगढ़ में नौकायन, बादल महल–कुंभलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाईबांध तक ट्रेकिंग पॉथ तथा जैसलमेर के सम क्षेत्र में, **'एडवेंचर स्पोर्ट्स'** की योजना अमल में लायी जायेगी। इन कार्यों पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये ख़र्च होंगे।

199. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि जंतर–मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आगामी वर्ष जंतर–मंतर के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

200. आगामी वर्ष नगरी–चित्तौड़गढ़, सहेलियों की बाड़ी–उदयपुर, बाडोली मंदिर–रावतभाटा, घंटाघर–जोधपुर, पटवों की हवेली–जैसलमेर, अर्थुना मंदिर–डूंगरपुर, कोल्वी की गुफायें–झालावाड़, मण्डावा की हवेलियां–झुंझुनूं, बाली फोर्ट–पाली, शेरगढ़–जोधपुर के पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी। आगामी वर्ष इन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

201. राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, कैलादेवी–करौली, निंबेश्वर महादेव–पाली, मेंहदीपुर बालाजी–दौसा, सालासर बालाजी–चूरू एवं खाटू श्याम जी–सीकर और दरगाह शरीफ–अजमेर में 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जायेंगे।

202. राजस्थान के प्रसिद्ध मेले, जैसे सांवलियाजी मेला–चित्तौड़गढ़, सिंदरू मेला–पाली, गोतमेश्वर मेला–प्रतापगढ़, गोगामेडी मेला–हनुमानगढ़, रामदेवरा मेला–जैसलमेर एवं ऐसे अन्य मेलों के आयोजन हेतु आधारभूत सुविधायें विकसित करने पर आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

203. पर्यटन इकाई नीति 2007 के तहत पर्यटन इकाइयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आवंटन, स्थानीय क्षेत्र की DLC दरों

पर किया जा रहा है। एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों की भांति, पर्यटन इकाइयों के लिए, जिला कलक्टर द्वारा 10 हैक्टेयर तक की भूमि का रूपांतरण किया जा सकेगा।

204. पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन इकाई नीति की अवधि मार्च, 2013 तक बढ़ाने की, मैं घोषणा करता हूँ।

205. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गत् तीन वर्षों में 8 जिलों के 9 गाँवों का विकास किया जा चुका है। आगामी वर्ष इस योजना के अंतर्गत, अजमेर में बघेरा, कोटा में डूंगरजा, जयपुर में माधोगढ, दौसा में लोटवाड़ा, जैसलमेर में खाबा, जालौर में सुंधामाता, बाड़मेर में किराडू, झालावाड़ में कोलवी, पाली में रणकपुर, करौली में कैलादेवी, धौलपुर मे बिसरोदा, एवं बूंदी में भीमलत गाँवों को पर्यटन हेतु विकसित किया जायेगा। आगामी वर्ष इन गाँवों के विकास हेतु 50 लाख रुपये प्रति गाँव की दर से ख़र्च किये जायेंगे।

206. चित्तौड़गढ़, आमेर एवं कुंभलगढ़ दुर्ग पर लाईट एण्ड साउण्ड शो की सफलता को देखते हुए, बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट एवं उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट पर लाईट एण्ड साउण्ड शो प्रारंभ किये जायेंगे।

207. मण्डावा, नीमराना, सामोद एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के सुधार एवं मरम्मत के कार्य करवाये जायेंगे।

208. राजस्थान में पर्यटकों हेतु आवास सुविधा में कमी एवं पर्यटकों के आगमन में वृद्धि को देखते हुए **'पेइंग गेस्ट आवास योजना'** को बढ़ावा दिया जायेगा।

कला एवं संस्कृतिः

209. कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, वाद्य, गायन, नृत्य, अभिनय, मूर्तिकला, पेंटिंग तथा फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में, उत्कृष्ट योगदान हेतु, प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों का सम्मान किया जायेगा।

210. प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर, आगामी वर्ष तीन दिवसीय कला, साहित्य एवं संस्कृति मेलों का भव्य आयोजन किया जायेगा, जिस पर 1 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

211. मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए खुशी है कि उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा सवाईमानसिंह टाऊन हॉल एवं जलेब चौक, जयपुर में **International Museum and Art Square** की स्थापना हेतु अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके विकास हेतु 45 करोड़ रुपये की परियोजना में से 30 प्रतिशत राशि योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

212. स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में, रामकृष्ण मिशन द्वारा खेतड़ी में विवेकानन्द स्मृति म्यूज़ियम स्थापित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपये का अंशदान देने की मैं घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

213. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रदेश के कलाकारों को 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार एवं राजकीय सम्मान पत्र प्रदान किया जायेगा।

देवस्थानः

214. राज्य के 48 हजार 359 मंदिरों को, भूमियों के पुनर्ग्रहण के बदले, वार्षिकी के रूप में देय क्षति–पूर्ति राशि को बढ़ाकर, न्यूनतम 1 हजार 200 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्तमान में वार्षिकी के रूप में मात्र 12 लाख रुपये का भुगतान होता है जो प्रस्तावित बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप 5 करोड़ 92 लाख रुपये होगा। इसी प्रकार राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों हेतु वर्ष 1997 में तय की गई भोग राशि में 50 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जायेगी।

215. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु गोगामेडी, कैलादेवी झील का वाड़ा–भरतपुर, मंदिर श्री तेजाजी–नागौर, बेणेश्वरधाम एवं रामदेवरा में, प्रत्येक में 50–50 लाख रुपये की लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

216. आगामी वर्ष राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 10 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे, जिसमें से 5 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा एवं 5 करोड़ रुपये देवस्थान निधि से वहन किये जायेंगे।

217. कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर राज्य से जाने वाले श्रद्धालुओं को राज्य सरकार द्वारा 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

गृहः

218. राज्य में कानून व्यवस्था एवं अपराधों के अनुसंधान हेतु लगभग 70 हजार पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 7 हजार 300 कॉंस्टेबल्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है। पारदर्शिता की दृष्टि से कॉंस्टेबल्स की भर्ती हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए इनके मानदंड निर्धारित किये जायेंगे। आगामी 3 वर्षों में, सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पदों सहित लगभग 12 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी।

219. तेरहवें वित्त आयोग की 100 करोड़ रुपये की अनुदान राशि से पुलिस, जेल, होमगार्ड एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु, आधारभूत सुविधाओं का आगामी तीन वर्षों में विस्तार किया जायेगा।

220. आगामी वर्ष धौलपुर ग्रामीण, केशोरायपाटन, जहाजपुर, मानपुर–दौसा व बीकानेर में 5 नये उप–अधीक्षक कार्यालय स्थापित किये जायेंगे। पूर्व वर्षों की भांति आगामी वर्ष भी, जयपुर, जोधपुर, राजसमन्द, बूंदी और सिरोही में नये महिला थाने स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अनंतपुरा–कोटा, लांगरा–करौली, सज्जनगढ़–बांसवाड़ा, चूरू सदर व चित्तौड़गढ़ सदर में नये थाने खोले जायेंगे। गांधीनगर–किशनगढ़, मेंहदीपुर बालाजी–दौसा, बसवा–दौसा एवं गोगामेडी–हनुमानगढ़ पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा। पुलिस थाना पुष्कर को क्रमोन्नत करते हुए निरीक्षक स्तर का किया जायेगा।

221. आगामी वर्ष जनाना अस्पताल–जयपुर शहर, मानपुरा-माचेड़ी–जयपुर ग्रामीण, करणीनगर–बीकानेर, सारस का चौराहा–भरतपुर, केवड़ा की नाल–उदयपुर, ज्वाला प्रसाद नगर–अजमेर, आगोलाई–जोधपुर, खैराबाद–कोटा, स्वरूपगंज– भीलवाड़ा एवं सुरेसिया–हनुमानगढ़ में 10 नई पुलिस चौकियां खोली की जायेंगी।

222. राज्य के अनेक पुलिस थानों के भवन काफी पुराने हैं। अतः उनकी मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए, आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

223. वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में पासपोर्ट हेतु पारपत्र केंद्र कार्यरत हैं। आगामी वर्ष शेष 24 जिलों में भी ऐसे केंद्र खोले जायेंगे ताकि पासपोर्ट हेतु स्वयं के जिलों में ही आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

224. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा की अग्निशमन सेवा तथा स्थानीय निकायों की अग्निशमन सेवाओं को समाहित करते हुए एक एकीकृत अग्निशमन सेवा का गठन किया जायेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सेवा उपलब्ध करवाई जायेगी। आगामी वर्ष इस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

225. कारागार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके सुझाव प्राप्त हो गये हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्षों में, कारागार व्यवस्था में आवश्यक सुधार किये जायेंगे। राज्य के कारागारों की क्षमता

http://finance.rajasthan.gov.in

में आगामी तीन वर्षों में 5 हजार की बढ़ोतरी करने की योजना है। अजमेर में एक नये उच्च सुरक्षा कारागार भवन, दौसा और बीकानेर में दंडित बंदियों के लिए तथा कोटा में विचाराधीन बंदियों के लिए नये कारागार भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। जयपुर केंद्रीय कारागार को दो हिस्सों में बांटते हुए, विचाराधीन व दंडित बंदियों के लिए, अलग–अलग कारागार परिसरों का निर्माण करवाया जायेगा। इन सभी कार्यों पर लगभग 116 करोड़ रुपयों की लागत आयेगी, जिसमें से लगभग 35 करोड़ रुपये आगामी वर्ष में व्यय किया जाना संभावित है।

226. केंद्रीय कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्लोज सर्किट टीवी, बैगेज स्केनर एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

227. कारागारों हेतु 550 प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आगामी वर्ष कारागारों हेतु प्रहरियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 500 पदों पर और भर्ती करने की मैं घोषणा करता हूँ।

228. आतंकवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु, जयपुर तथा जोधपुर में एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड **(ATS)** स्थापित है। आगामी वर्ष उदयपुर, कोटा एवं अजमेर में भी एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड **(ATS)** का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासनः

229. राज्य में वर्तमान में 13 पारिवारिक न्यायालय स्वीकृत हैं। आगामी वर्ष 15 नये पारिवारिक न्यायालयों की और स्थापना करना प्रस्तावित है।

230. राज्य में वादकरण के प्रभावी प्रबंधन हेतु वादकरण नीति जारी की जायेगी।

राजस्वः

231. वर्तमान में राज्य में भूमि अवाप्ति की नीति बनी हुई नहीं है। अतः, विकास कार्यों एव विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, यथा संभव कृषि भूमि को सुरक्षित रखते हुए, मैं राज्य में नई भूमि अवाप्ति नीति जारी करने की घोषणा करता हूँ, जिसे आगामी 3 माह में लागू कर दिया जायेगा।

232. वर्ष 2010–11 में उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों हेतु 119 वाहन क्रय किये गये हैं तथा आगामी वर्ष 125 वाहन और क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर 7 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष तहसील एवं उपखंड कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए 10 करोड़ रुपये एवं आवास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

233. राज्य में 10 हजार 40 पटवार सर्किल स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 हजार 396 स्थानों पर पटवार भवन बने हुए हैं। आगामी वर्ष नाबार्ड की ऋण सहायता से 1 हजार पटवार भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इन पटवार घरों का निर्माण जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

234. राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के अंतर्गत पटवारियों की सेवा की गणना, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, नियुक्ति की तिथि से प्रारंभ होती है। मैं प्रस्तावित करता हूँ कि भविष्य में प्रशिक्षण पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही सेवा की गणना का लाभ दिया जायेगा।

235. पटवार हलकों में सहयोग हेतु लिये जाने वाले ग्राम प्रतिहारियों **(Chain-man)** को वर्तमान में 4 माह की अवधि के लिए 1 हजार 600 रुपये मानदेय मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया जायेगा।

प्रशासनिक सुधारः

236. सुशासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ लक्षित समूह को निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए **'Guaranteed Delivery of Public Services Act'** लागू किया जायेगा।

सामान्य प्रशासनः

237. धौलपुर, भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़–प्रतापगढ़, चूरू, दौसा, टोंक–बूंदी, बारां तथा हनुमानगढ़ में हवाईपट्टियों का निर्माण करवाया जायेगा।

238. कई बार यह देखा गया है कि आम नागरिकों को उनकी विभिन्न विभागों में बकाया राशियां प्राप्त करने के लिए बार–बार संपर्क

करना पड़ता है। अतः सरकार में **pending claims** के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाकर, ऐसे मामलों का 3 माह में निस्तारण किया जायेगा।

239. राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी अन्य राजकीय विभाग, निगम, बोर्ड में नवीन नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर, सभी वर्गों के बेरोजगार अभ्यर्थियों को, बस–रेल किराये की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा।

स्वतंत्रता सैनानीः

240. स्वतंत्रता सैनानियों के त्याग एवं इनको वृद्धावस्था में आ रही परेशानियों को देखते हुए पेंशन राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ। चिकित्सा सहायता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से राशि अलग से देय होगी।

पत्रकार कल्याणः

241. जिला स्तर पर पत्रकारों को **IT** सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मीडिया सेंटर्स की स्थापना जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अथवा सूचना केंद्र में किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होंगे।

242. प्रतापगढ़, बारां एवं करौली में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इन केन्द्रों के भवन निर्माण एवं फर्नीचर आदि पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होना संभावित है।

243. पत्रकार–साहित्यकार कोष जिसके अंतर्गत पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, शायरों को सहायता देने का प्रावधान है एवं कलाकार कोष में, 2–2 करोड़ रुपये का अंशदान करने की मैं घोषणा करता हूँ तथा इनके नियमों में संशोधन करते हुए दायरे एवं देय सुविधाओं में बढ़ोतरी की जायेगी।

कर्मचारी कल्याणः

244. राज्य सरकार के 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष में एक बार सामान्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मेडिकल टेस्टों की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी।

245. राज्य सेवा के सभी अधिकारियों को अपने संपूर्ण सेवाकाल में 3 प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता में बढ़ोतरी हो सके।

246. पूर्व में 31 दिसंबर, 1988 तक नियुक्त 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों **(Work-charged Employees)** को समय–समय पर नियमित किया जाकर उन पर राजस्थान सेवा नियम लागू किये गये हैं। कर्मचारियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शेष कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी, पूर्व की भांति, नियमित करके उन पर राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान लागू करना प्रस्तावित है।

247. विशिष्ट परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन नियमों के अंतर्गत उनके आश्रितों को देय अनुग्रह

http://finance.rajasthan.gov.in

अनुदान की राशि को मैंने फरवरी 2009 में 1 लाख 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया था। अब इस राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ। सेवा नियमों के अंतर्गत चुनाव कार्यों में नियोजित होम गार्ड्स स्वयंसेवकों एवं गैर–सरकारी व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान राशि को फरवरी 2009 में 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

248. वर्तमान में तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किये बिना अथवा परिवीक्षा काल के दौरान किसी कर्मचारी की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः नियमों में संशोधन कर के ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का प्रावधान किया जायेगा।

249. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण एवं वरिष्ठता को लेकर माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में संबंधित आकड़ों का संकलन किया जा रहा है। सरकार द्वारा इनका अध्ययन कर इस मामले में समुचित निर्णय लिया जायेगा, जिससे पदोन्नतियां शीघ्र की जा सकें।

कर प्रस्ताव

250. अध्यक्ष महोदय अब मैं वर्ष 2011–12 के कर प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

251. सर्वप्रथम, मैं राज्य के आम नागरिकों का अभिनन्दन करना चाहूँगा, जिनके कर राजस्व रूपी योगदान के बिना राज्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं सदन के माध्यम से राज्य के नागरिकों को आश्वस्त करता हूँ, कि उनके इस योगदान की परिणति राज्य के विकास के रूप में अवश्य ही परिलक्षित होगी।

252. कर प्रस्तावों का दायरा सिर्फ कर दरों में राहत व वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह कर प्रशासन हेतु सरकार की भावी नीति का भी परिचायक है। मैं, करदाता के अनुकूल, सरल, सहज एवं पारदर्शी कर–प्रशासन हेतु प्रतिबद्ध हूँ। नागरिकों एवं व्यवसाईयों द्वारा मेरी सरकार में दिखाये गये विश्वास के अनुरूप मैंने अपने गत दो वर्षों के बजट में राजस्व अर्जन प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की है, तथा मैं इसे आगे भी बनाये रखूंगा।

253. वर्ष 2010–11 का बजट प्रस्तुत करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य का कर राजस्व 19,020/– करोड़ रूपये होगा। संशोधित अनुमान 19,415/– करोड़ रूपये के है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष

http://finance.rajasthan.gov.in

2010–11 के कर–राजस्व के संशोधित अनुमान वर्ष 2009–10 के कर–राजस्व से लगभग 18 प्रतिशत अधिक हैं।

254. राजस्व में यह वृद्धि प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की कुशल वित्तीय नीतियों के साथ–साथ अच्छे मानसून, राज्य सरकार के बेहतर कर–प्रशासन, संबंधित विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयास एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण का परिणाम है।

255. यह वृद्धि मेरी सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ बनाये गये विश्वास के वातावरण की भी परिचायक है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार और व्यापारियों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए हमने, वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से **''निवारण 2010''** एवं **''आई.टी. सी. सत्यापन''** शिविरों का आयोजन किया, जिनमें व्यापारियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

256. मेरी सरकार इस विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण को बनाये रखेगी। इसी क्रम में, मैंने इस वर्ष भी, कर प्रस्तावों में भागीदारी के उद्देश्य से कर परामर्शदात्री समिति **(Tax Advisory Committee)** की बैठक में किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, कर सलाहकारों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की अपेक्षायें जानकर बजट में यथासम्भव समावेश करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ, मैं वर्ष 2011–12 के कर प्रस्तावों पर आगे बढ़ता हूँ।

वाणिज्यिक कर –

257. अध्यक्ष महोदय, वैट व्यवस्था को लागू किये 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन वर्षों में राज्य के आर्थिक परिदृश्य में प्रगतिशील परिवर्तन आये हैं। गत वर्ष मैंने वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीयन हेतु टर्नओवर की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये की थी। इसी क्रम में, मैं, राज्य के खुदरा व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन योजना अपनाने वाले व्यापारियों के लिये लागू अधिकतम टर्नओवर की वर्तमान सीमा को 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 60 लाख रूपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

258. वर्तमान में कर निर्धारण प्रक्रिया में विभाग व व्यापारियों का काफी समय लग रहा है। यदि व्यापारी वित्तीय वर्ष 2009–10 की समस्त रिर्टन एवं देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा करा देते हैं, तो मैं उन पर आरोपित होने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ किये जाने की घोषणा करता हूँ। ऐसा करने से 2 लाख से अधिक व्यापारियों के कर निर्धारण डीम्ड होंगे एवं उन्हें असेसमेन्ट के लिये कार्यालयों में नहीं आना पड़ेगा।

259. मेरी जानकारी में लाया गया है कि **Input Tax Credit** के सत्यापन के अभाव में व्यापारियों के विरूद्व मांग कायम कर दी जाती है जिसके कारण व्यापारियों के रिफण्ड में देरी होती है। व्यापारियों द्वारा रिटर्न की ई–फाईलिंग किये जाने से कर निर्धारण एवं आई.टी.सी.

http://finance.rajasthan.gov.in

सत्यापन कम्प्यूटर के द्वारा हो सकेंगे एवं रिफण्ड में देरी नहीं होगी । अतः मैं आगामी वित्तीय वर्ष से विशिष्ट श्रेणी के व्यापारियों को छोड़कर, अन्य सभी के लिये रिटर्न की ई–फाईलिंग अनिवार्य करना प्रस्तावित करता हूँ।

260. रिटर्न की ई–फाईलिंग करने में कम समय लगे, इस उद्देश्य से वैट एवं सी.एस.टी. रिटर्न **Form** को एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

261. ई–फाईलिंग करने पर कर निर्धारण स्वतः विभागीय सोफ्टवेयर द्वारा किया जायेगा। अतः भविष्य में कर का भुगतान शत–प्रतिशत ई–माध्यम से प्राप्त करना, कर निर्धारण में सहायक होगा। इस उद्देश्य से, प्रथम चरण में, मैं ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष का वार्षिक कर 5 लाख रूपये से अधिक हो, के लिये, आगामी वित्तीय वर्ष से कर का **e-Payment** अनिवार्य करना प्रस्तावित करता हूँ।

262. वर्तमान में कतिपय व्यापारियों के लिये, माह में दो बार कर जमा कराना अनिवार्य है। चूंकि मैंने इस श्रेणी में आने वाले व्यापारियों के लिये अनिवार्य **e-Payment** प्रस्तावित किया है, अतः मैं, इनके लिये, माह में दो बार के स्थान पर, एक बार कर जमा कराना अनिवार्य करना प्रस्तावित करता हूँ।

263. डिजिटल सिग्नेचर के अभाव में व्यापारियों को ई–फाईलिंग के पश्चात् रिटर्न की हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत करनी होती है। ऐसे

व्यापारियों को पृथक से हार्ड कॉपी प्रस्तुत न करना पड़े, इस उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूँ कि 60 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों द्वारा चाहे जाने पर, वाणिज्यिक कर विभाग निशुल्क डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध करायेगा। साथ ही व्यापारियों को रिटर्न ई–फाईल करने में परेशानी न हो इस हेतु भी विभाग आवश्यक प्रबन्ध करेगा।

264. कई राज्यों में सी.एस.टी. अधिनियम के घोषणा पत्रों को वैबसाईट के माध्यम से व्यापारियों द्वारा स्वयं डाउनलोड करने की व्यवस्था है। व्यापारियों को और अधिक सहुलियत देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग प्रयासरत है कि अन्य राज्यों से पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने राज्य में भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि व्यापारी इन घोषणा पत्रों को वैबसाईट के माध्यम से स्वयं डाउनलोड कर सके।

265. अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत व्यापारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राज्य के विकास हेतु राजस्व अर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापारी की इस भूमिका का सम्मान करते हुये मैं, **''व्यवहारी सम्मान योजना''** लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना में कुछ श्रेणियों में सर्वाधिक कर जमा कराने वाले व्यापारियों को प्रति वर्ष जिला एवं राज्य स्तर पर **''राज–मित्र''** के रूप में सम्मानित किया जायेगा। इन राज–मित्रों को पूर्व में जारी प्रीविलेज कार्ड योजना के समस्त लाभ भी मिलेंगे।

266. राजस्थान बिक्रीकर प्रोत्साहन, करमुक्ति व डेफरमेन्ट योजना 1998 के प्रावधानों के अनुसार योजना का लाभ ले चुके उद्योगों को आगामी 5 वर्षों तक पूर्व के वर्षों का औसत उत्पादन करना अनिवार्य है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उद्यमी इस शर्त की पालना नहीं कर पा रहे हैं। अतः उद्योग जगत की मांग पर इस समस्या का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।

267. **RIPS 2010** में पात्र उद्यमी द्वारा जमा कराये गये कर की 30 प्रतिशत राशि **Investment Subsidy** के रूप में देय है। व्यापारियों की मांग है कि यह **Subsidy** स्वतः एवं शीघ्र दी जाये। अतः योजना के अधीन पात्र उद्यमियों को इस **Subsidy** की राशि का भुगतान ई–माध्यम से, रिर्टन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 30 दिवस में दिया जाना प्रस्तावित है।

268. **RIPS 2010** में **Investment Subsidy** के साथ–साथ **Employment Generation Subsidy** भी देय है। यह राशि 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एवं महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों एवं निशक्तजनों के मामले में 12 हजार रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। राज्य के उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं, इन राशियों को बढ़ाकर क्रमशः 15 हजार व 18 हजार करने की घोषणा करता हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

269. इसी क्रम में मैं, कृषि क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से **Agro Processing Policy** (कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010) के अन्तर्गत देय अतिरिक्त रोजगार आधारित प्रोत्साहन राशि को 2 हजार रूपये बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूँ।

270. वर्तमान में ट्रेक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर वाहनों एवं उनके पार्ट्स व एसेसरीज पर 14 प्रतिशत वैट तथा 1 प्रतिशत प्रवेश कर दोनों देय हैं। व्यावसायिक संगठनों की मांग पर इस दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त किया जाकर इन वस्तुओं पर वैट दर 15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

271. इसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुऐं यथा एयर कण्डीश्नर, रेफ्रीजरेटर, मिनरल वाटर आदि पर भी 14 प्रतिशत वैट तथा 1 प्रतिशत प्रवेश कर दोनों देय हैं। अतः इन वस्तुओं पर भी दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त किया जाकर वैट दर 15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

272. मैं आशा करता हूँ कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण के इन प्रस्तावों का उद्योग एवं व्यापार जगत स्वागत करेगा। साथ ही इन प्रयासों से राज्य में निवेश का वातावरण और अधिक आकर्षक बनेगा तथा नये निवेशक राज्य में अधिक निवेश करने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

कर दरों में राहत –

273. अध्यक्ष महोदय अब मैं कर दरों में राहत के प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

274. राज्य के पशुपालकों को राहत देने के उद्देश्य से, मैं, पशुआहार में प्रयोग लिये जाने हेतु मोलेसेस **(Molasses)** की खरीद करने वाले पशुआहार उत्पादकों के लिये मोलेसेस **(Molasses)** की कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

275. राज्य के सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत दुग्ध उत्पादक समितियों को राहत देने के उद्देश्य से मैं उनके द्वारा दूध की जांच में प्रयुक्त **Electronic Milk Tester** एवं इसके पार्ट्स पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

276. **UHT Milk** विशेष रुप से **Treat** किये जाने के कारण लम्बे समय तक उपयोगी रहता है। मैं इस दूध पर लागू 5 प्रतिशत कर दर को समाप्त कर इसे ताजा दूध के समान करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

277. वर्तमान में वेल्डिंग होल्डर, वेल्डिंग ग्लास व वेल्डिंग मशीन पर कर दर 14 प्रतिशत है। राज्य के कामगारों को राहत देने के उद्देश्य से मैं, इन पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

278. राज्य के जैम्स स्टोन कटिंग एवं पोलिशिंग उद्योग में कार्यरत कारीगरों को राहत देने के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर तथा जैम्स स्टोन

http://finance.rajasthan.gov.in

कटिंग एवं पालिशिंग टूल्स पर मैं, वर्तमान कर दर 14 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ । इससे राज्य के हजारों कारीगर लाभान्वित होंगे।

279. राज्य के हस्तनिर्मित ऊनी गलीचे व नमदे विदेशों तक प्रसिद्ध हैं। हस्तनिर्मित ऊनी गलीचों को करमुक्त करने की मांग की गई है। अतः राज्य के दस्तकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं हस्त निर्मित ऊनी गलीचों, नमदा व हाथ से कती हुई ऊन को करमुक्त किये जाने की घोषणा करता हूँ।

280. जयपुरी रजाईयाँ देश भर में राज्य की पहचान बन चुकी हैं। वर्तमान में 750 रूपये मूल्य तक की ही रजाईयाँ करमुक्त हैं तथा इससे अधिक मूल्य की रजाईयों पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है। रजाई उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मैं सभी मूल्यों की रजाईयों को पूर्ण रूप से करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

281. एस. एस. शीट्स एवं सर्किल्स विनिर्माता इकाईयों का निर्मित माल मुख्यतः अन्तर्राज्यीय कारोबार में बिकता है। इन वस्तुओं पर राज्य में विक्रय पर कर दर 4 प्रतिशत है तथा अर्न्तराज्यीय विक्रय पर कर दर आधा प्रतिशत है। इस उद्योग की मांग पर एवं इनके अर्न्तराज्यीय विक्रय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एस. एस. शीट्स एवं सर्किल्स पर वैट की वर्तमान दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा केन्द्रीय बिक्री कर की दर आधा प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

282. उद्योग जगत की मांग पर लाइमस्टोन एवं बेकरी यीस्ट पर कर दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

283. राज्य में गर्मी का विशेष प्रकोप रहता है। इससे बचाव हेतु लोहे की बाडी से बने डेजर्ट कूलर्स का सामान्यतः घर–घर में प्रयोग किया जाता है। अतः जन–सामान्य को राहत प्रदान करने हेतु इनकी कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

284. राज्य के लूज स्प्रिंग लीव्ज़ के व्यापारियों द्वारा मांग की गयी है कि पड़ौसी राज्यों में विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर दर कम होने के कारण उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लूज स्प्रिंग लीव्ज़ पर वर्तमान कर दर 14 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

285. राज्य में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा आयोग में पंजीकृत इकाइयों की कर से छूट हेतु वर्तमान टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रूपये को बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये किया जाना प्रस्तावित है।

286. वर्तमान में ऐसे **Oil based washing soap** जिनकी **MRP 50** रूपये प्रति किलोग्राम से कम है, पर कर दर 5 प्रतिशत है। साबुन उद्योग द्वारा कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी होने के कारण मांग की गई है कि इस **MRP** में वृद्धि की जाये। उद्योग जगत की मांग को मानते

http://finance.rajasthan.gov.in

हुए मैं, इस 50 रूपये प्रति किलोग्राम की सीमा को बढ़ाकर 60 रूपये प्रति किलोग्राम करना प्रस्तावित करता हूँ।

287. गत वर्ष मैंने बिजली की बचत के उद्देश्य से सी.एफ.एल. बल्ब पर वैट की दर में राहत प्रदान की थी। इसी क्रम में मैं, बिजली बचाने वाली नवीन तकनीक आधारित एल.ई.डी. लैम्प्स पर भी वैट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

288. राजस्थान के नागरिक पानी की कीमत समझते हैं तथा इसे सहेज कर रखते हैं। प्लास्टिक की टंकियाँ पानी को सहेजने के माध्यम के रूप में आज प्रत्येक घर की आवश्यकता बन चुकी हैं। अतः मैं, इन प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक पर देय कर दर 14 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

289. वर्तमान में 200 रूपये तक के स्कूल बैग करमुक्त है तथा इससे अधिक मूल्य के स्कूल बैग पर 14 प्रतिशत कर देय है। अब मैं 500 रूपये तक के स्कूल बैग को करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

290. धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित भोजनशालाओं को करमुक्त करने की मांग की जा रही है। इसे उचित मानते हुए मैं, ऐसी भोजनशालाओं के साथ–साथ, चैरीटेबल संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भोजन को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

291. अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष तीन सितारा से कम स्तर एवं अवर्गीकृत होटल तथा रेस्टोरेन्ट्स को कर दर में राहत दी थी। इसी क्रम में, मैं आउटडोर केटरर्स को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा परोसे जा रहे भोजन पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

292. राज्य में आर्मी कैन्टीन **(CSD)** एवं **BSF** संचालित कैन्टीन को कर में छूट है। इसी क्रम में, मैं **CRPF** व **CISF** संचालित कैन्टीन को भी **CSD** के अनुरूप कर में छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

293. वर्तमान में फलों और सब्जियों का कारोबार किसानों के लिये लाभदायक बन रहा है। राज्य की **Agri-Business Policy** (कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010) के अन्तर्गत भी ताजा फल सब्जियों की रिटेल चेन की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। अतः मैं ताजा फलों और सब्जियों को बिना शर्त पूर्णरूप से करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

294. अध्यक्ष महोदय, वैट लागू होने के पश्चात् से ही दलहनों पर एक प्रतिशत की दर से कर देय है तथा वर्तमान में यह दर 31 मार्च 2011 तक अधिसूचित है। राज्य के आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं, सभी प्रकार की दालों को करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ। इस छूट से राज्य कोष पर लगभग 35 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा।

295. अध्यक्ष महोदय, हमनें राज्य के नागरिकों के लिये मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना लागू की है। मैंने अभी भाग प्रथम में घोषणा की है कि इस योजना के अन्तर्गत 40 लाख बी.पी.एल. परिवारों को प्रति माह 25 किलो गेहूँ का 2/– रूपये प्रति किलो की दर से वितरण किया जायेगा। इन परिवारों के साथ–साथ हमारी जिम्मेदारी राज्य के समस्त नागरिकों के प्रति भी है। मेरी सरकार राज्य के समस्त नागरिकों को दाल और रोटी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के प्रथम चरण में मैंने अभी दालों को करमुक्त करने की घोषणा की है तथा इसी क्रम में मैं, अब गेहूँ को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस छूट से राज्य के नागरिकों के भोजन पर होने वाले खर्च में कमी होगी।

296. अध्यक्ष महोदय, दाल और रोटी के साथ दाल और चावल भी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः मैं चावल को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ। गेहूँ व चावल पर छूट से राज्य कोष पर लगभग 140 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा।

297. आम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त केरोसिन को **PDS** के माध्यम से बेचे जाने पर कर दर 5 प्रतिशत है। इस वर्ग को राहत प्रदान करते हुए मैं **PDS** के माध्यम से बेचे जाने वाले केरोसिन को भी करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ। इससे राजकोष पर 30 करोड़ रूपये से अधिक का भार पड़ेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

298. दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुऐं जो वैट लागू होने पर कर के दायरे में आ गयी है, को पुनः करमुक्त करने के सम्बन्ध में व्यापारिक संगठनों द्वारा मांग की गई है। अतः मैं, राज्य की गृहिणियों की रोजमर्रा की वस्तुऐं यथा चकला, बेलन, गैस लाईटर, चिमटा, इमामदस्ता, मूसली, झर, छलनी, मुल्तानी मिट्टी आदि वस्तुओं को करमुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

299. वर्तमान में **TV** घर–घर की जरूरत बन चुका है। **DTH** एवं केबल **TV** के माध्यम से घर–घर में पुरूष, महिलाएं एवं बच्चें समाचार, सिनेमा, खेल, कार्टून आदि देख रहे है। राज्य के नागरिकों को स्वस्थ मनोरजंन कम कीमत पर उपलब्ध हो सके, इस हेतु मैं **DTH** एवं केबल **TV** को मनोरजंन कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

300. सिनेमा उद्योग द्वारा मनोरंजन कर से छूट की मांग की गई है। वर्तमान में इस उद्योग पर 30 प्रतिशत की दर से मनोरजंन कर देय है। मैं सिनेमा उद्योग की मांग पर इन्हें मनोरंजन कर से पूर्ण छूट प्रदान करता हूँ। मनोरंजन कर में इन छूटों से राज्य कोष पर लगभग 25 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा।

301. मैं एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में स्थित सिनेमाघरों पर अधिरोपित नगरीय विकास कर में 50 प्रतिशत छूट प्रस्तावित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रस्तावों से सिनेमा उद्योग को राहत मिलेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

302. अध्यक्ष महोदय, मेरे इन प्रस्तावों से 250 करोड़ रूपये से अधिक की राहत दी गई है।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

303. अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा **GST** को लागू करने की दिशा में इसी लोकसभा सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। **GST** एक नवीन व्यवस्था है, जिसमें सेवा कर के रूप में राज्य को नया कर भी मिलेगा। अतः इस दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन **राज्य कर अकादमी** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जो अधिकारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारी के रूप में विभाग में **ACTO** से उच्चतर पदों की संख्या में अपग्रेडेशन द्वारा 120 पदों की बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है।

304. विभिन्न न्यायालयों में वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित प्रकरण लम्बित है, जिनके आपसी समझौते से निराकरण करने की ठोस व्यवस्था हेतु मांग की जा रही है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मैं, टैक्स सेटलमेन्ट बोर्ड को क्रियाशील करने हेतु पुनर्गठित करना प्रस्तावित करता हूँ। यह बोर्ड प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इस उद्देश्य से इस बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इससे राज्य के व्यापारियों के लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक

305. नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ई–स्टाम्प जारी किया जाना समय की मांग है। ई–स्टाम्प सुरक्षित एवं टेम्पर प्रूफ दस्तावेज है। अतः प्रथम चरण में, मैं, राज्य के सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर ई–स्टाम्प जारी किये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने की घोषणा करता हूँ।

306. अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित इकरारनामें जिनमें सम्पत्ति के कब्जे का अंकन है, का पंजीयन अनिवार्य है। सामान्यतः अचल सम्पत्ति के अन्य इकरारनामों के दस्तावेजों का पंजीयन नहीं कराया जा रहा है। पंजीयन नहीं होने से ऐसे दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं आते हैं तथा सम्पत्ति विवाद व आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की सम्भावनायें बनी रहती हैं। इन विवादों तथा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से डवलपर एग्रीमेन्ट सहित अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के इकरारनामों **(Agreement to Sale)** का पंजीयन अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।

307. नजदीकी परिवारजनों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति की गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की छूट देय है। इन नजदीकी परिवारजनों में नाती व नातिन शामिल नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुत्र व पुत्री में अंतर नहीं रहा है। अतः गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट की परिधि में पूर्व में शामिल परिवारजनों के साथ नाती व नातिन के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

308. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009–10 के बजट में मैंने स्टाम्प ड्यूटी की सामान्य दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की थी। इसी क्रम में मैं, बन्ध पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूँ।

309. वर्तमान में राज्य के किसानों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि के विनिमय **(Exchange)** एवं पैतृक कृषि भूमि के विभाजन **(Partition)** के कतिपय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट है, परन्तु इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में छूट नहीं है। अतः इस वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से मैं इन दस्तावेजों पर देय 1 प्रतिशत पंजीयन शुल्क जो अधिकतम 50 हजार रूपये तक हो सकता है, से पूर्ण रूप से छूट दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

310. कई बार नगरीय क्षेत्र में **DLC** द्वारा निर्धारित दरें नगर निगम, नगर विकास न्यास आदि संस्थाओं की आरक्षित दरों से कम निर्धारित हो जाती हैं। मेरी जानकारी में यह भी लाया गया है कि औद्योगिक, सांस्थानिक तथा पर्यटन प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि की दरों के सम्बन्ध में स्पष्टता व मानदण्डों का अभाव है। इनके समाधान के लिये स्पष्ट प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।

311. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्टाम्प वेंडर्स की मांग पर मैं, चार सौ रूपये से अधिक मूल्य के **Denomination** वाले स्टाम्प के विक्रय पर देय **Discount fee** जो वर्तमान में प्रति सौ रूपये पर बीस पैसे से पचास पैसे है, को बढ़ाकर, एक समान, एक रूपया किया जाना प्रस्तावित करता

http://finance.rajasthan.gov.in

हूँ। इससे राज्य पर लगभग 3 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय भार पड़ेगा।

312. अचल सम्पतियों के विभिन्न प्रकार से हस्तान्तरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2008–09 में जहां लगभग 9 लाख दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं, वहीं वर्ष 2010–11 में लगभग 12 लाख से अधिक दस्तावेज पंजीकृत होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर पंजीयन श्रेणी के दस्तावेज भी लिखे जाते हैं, जिसके लिये स्टाम्प वेंडर्स व डीड राईटर्स की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष में 1000 स्टाम्प वेंडर्स व 1000 डीड राईटर्स के नवीन अनुज्ञापत्र दिये जायेंगे। इससे आम जन को स्टाम्पस् प्राप्त करने एवं अपने दस्तावेज लिखवाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

313. राज्य के नागरिकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समस्त उप–पंजीयक एवं उप–महानिरीक्षक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत एवं विभाग में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक सहित 200 नये पदों का सृजन, किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन

314. राज्य के किसानों के हित में, मैं कृषि ट्रेक्टरों एवं कम्बाईन हार्वेस्टर को मोटर वाहन कर की अदायगी से पूर्णतया मुक्त करने की घोषणा करता हूँ। इससे राजकोष पर लगभग 4 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा।

315. ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रायः स्टेज कैरिज वाहन स्वामियों द्वारा पुरानी बसों का संचालन किया जाता है। ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नयी बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये, मैं ऐसे मार्गों पर संचालित नयी पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को, पंजीयन की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये, विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

316. राज्य सरकार नागरिकों को सुव्यवस्थित व सुरक्षित परिवहन की आधुनिक एवं आधारभूत सुविधाऐं सुलभ कराने तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति एवं केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अरबन रिन्युअल मिशन **(JNNURM)** की शर्तों की पूर्ति के उद्देश्य से मैं, **Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund (RTIDF)** की स्थापना की घोषणा करता हूँ।

317. इस फण्ड के लिये मैं, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत देय समस्त प्रकार के एक बारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत एवं अन्य प्रकार के देय करों पर 5 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस अधिभार से 3 लाख रूपये तक की कीमत वाले वाहनों को मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है। इस अधिभार से लगभग 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

318. नवीन वाहनों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि के कारण वाहन जनित प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों के प्रयोजनार्थ, पुराने वाहनों के अतिरिक्त नवीन वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस ग्रीन टैक्स से लगभग 25 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण

319. अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रथम भाग में स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण हेतु इन्हें राशि हस्तान्तरित करने की घोषणा की थी। इस राशि के लिये कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने आवश्यक है। यद्यपि राजस्थान पंचायती राज एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार अधिरोपित करने के सम्बन्ध में प्रावधान विद्यमान है, परन्तु इन प्रावधानों की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। अतः इस प्रयोजनार्थ एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत देय स्टाम्प ड्यूटी पर, 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाकर जुटाये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु स्टाम्प अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है। इससे लगभग 145 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

320. इसी क्रम में, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता को देखते हुये, प्रति माह 100 युनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर वर्तमान में लागू नगरीय उपकर **(Urban Cess)** को

प्रति युनिट 5 पैसा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

अतिरिक्त कर प्रस्ताव

321. एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर कर दर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 20 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

322. राज्य औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर है। भूमि अधिग्रहण के मामले बढ़ रहे हैं। काश्तकारों को अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिलाने एवं भूमि सम्बन्धी ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में, **DLC** दर का महत्वपूर्ण स्थान है । अतः सभी प्रकार की भूमि की **DLC** दरों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 175 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व आय अनुमानित है।

323. अध्यक्ष महोदय, राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। सभी माननीय सदस्य तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भली–भाँति अवगत है। जिन परिवारों में इन तम्बाकू जनित बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति होते है, उनकी भावनात्मक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारा दायित्व है कि इन उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित किया जाये। सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे ।

324. इसी क्रम में मैं, पान मसाला, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों पर कर दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने के साथ, ऐसे कुछ उत्पादों पर देय कर प्रथम बिन्दु पर लिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इन उत्पादों की कीमत बढ़ने से, मैं आशा करता हूँ कि इनके उपयोग में कमी आयेगी तथा राज्य के नागरिक स्वस्थ रहेंगे।

325. इस प्रस्ताव से लगभग 360 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है, परन्तु यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव राजस्व अर्जन की दृष्टि से नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली **CST Compensation** की राशि में से तम्बाकू उत्पादों से प्राप्त कर राशि को घटाया जायेगा । अतः इन उत्पादों पर कर बढ़ाने से होने वाली अतिरिक्त आय वास्तविक रूप में राज्य को प्राप्त नहीं होगी अपितु इस अनुपात में **CST Compensation** कम मिलेगा। अतः राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस कर दर में बढ़ोतरी प्रस्तावित की है।

326. इस प्रकार मेरे कर प्रस्ताव लगभग 500 करोड़ रूपये के है, जबकि मैंने 255 करोड़ रूपये से अधिक की करों में राहत दी है तथा मेरे द्वारा 195 करोड़ रूपये की राशि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है एवं शेष राशि का अधिकतर भाग **RTIDF** को हस्तान्तरित किया जायेगा। इस प्रकार से मेरे कर प्रस्तावों से होने वाली आय आम आदमी को राहत

http://finance.rajasthan.gov.in

देने एवं पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के सशक्तिकरण तथा **RTIDF** के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपयोग में ली जायेगी।

327. इन प्रस्तावों के साथ ही कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है, जिनके विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है।

वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानः

328. वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियां	45	हजार	988	करोड़	97	लाख	रुपये
2.	राजस्व व्यय	46	हजार	877	करोड़	92	लाख	रुपये
3.	राजस्व घाटा			888	करोड़	95	लाख	रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	10	हजार	704	करोड़	21	लाख	रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	10	हजार	212	करोड़	37	लाख	रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य			491	करोड़	84	लाख	रुपये
7.	बजटीय घाटा			397	करोड़	11	लाख	रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	7	हजार	553	करोड़	1	लाख	रुपये

वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानः

329. वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियां	52	हजार	287	करोड़	36	लाख	रुपये
2.	राजस्व व्यय	51	हजार	934	करोड़	74	लाख	रुपये
3.	राजस्व आधिक्य			352	करोड़	62	लाख	रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	11	हजार	810	करोड़	61	लाख	रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	12	हजार	64	करोड़	8	लाख	रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा			253	करोड़	47	लाख	रुपये
7.	बजटीय आधिक्य			99	करोड़	15	लाख	रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	8	हजार	63	करोड़	47	लाख	रुपये

330. आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य कुल राजस्व प्राप्तियों का 0.67 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा **GSDP** का 2.42 प्रतिशत रहना संभावित है।

331. मैं वर्ष 2011–12 का, वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

332. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की पालना में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्त विधेयक के माध्यम से **'राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954'** में आवश्यक संशोधन करना प्रस्तावित है।

333. अध्यक्ष महोदय, बजट लोक सेवाओं और सुशासन की बुनियाद पर खड़ी होने वाली जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दिये गये पाँच सूत्री कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर केन्द्रीय बजट में घोषणा की गई है कि –

> ''भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिये, एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवाओं के भ्रष्टाचार के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केन्द्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिये प्रतिस्पर्धी प्रणाली से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है।''

334. आशा है कि यह समूह समय पर अपनी सिफारिशें देगा, जिसके अनुसार हमारी सरकार भी आगे बढ़ेगी। हालांकि इन्ही भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया है तथ मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है।

335. अब अन्त में मैं महात्मा गांधी द्वारा 22 अक्टूबर, 1925 को यंग इडिया समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख का उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त निम्न **''सात पाप''** से दूर रहने का संदेश दिया थाः–

सिद्धान्त विहीन राजनीति	Politics without Principle
श्रम विहीन सम्पत्ति	Wealth without Work
विवेक विहीन भोग विलास	Pleasure without Conscience
चरित्र विहीन शिक्षा	Knowledge without Character
नैतिकता विहीन व्यापार	Commerce without Morality
मानवीयता विहीन विज्ञान और	Science without Humanity
त्याग विहीन पूजा	Worship without Sacrifice

336. मेरा मानना है कि जनहित में प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से हम सभी लोक सेवकों को, अपने मानस में उपरोक्त भावना अपनाने के लिये संकल्प लेना चाहिए।

337. इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।